

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३
(राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १० सन् १९७३)
कतिपय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित विधि का संशोधन और समेकन करने के लिए
अधिनियम
निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—
अध्याय-१

प्रारम्भिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ है।

(२) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और वर्तमान विभिन्न विद्यमान विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति-निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस तारीख के प्रति निर्देश है, जिसको यह अधिनियम उस विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में प्रवृत्त हुआ है।

(३) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (जिसका नाम उक्त विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय होगा) को इस अधिनियम के लागू होने में राज्य सरकार १समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों में ऐसे अपवाद या उपान्तर, जो सारतः प्रभाव न डालते हों, कर सकेगी, जो परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हैं।

(४) (क) धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो जाने के पश्चात् काशी विद्यापीठ को इस अधिनियम के लागू होने में राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों में ऐसे अपवाद या उपान्तर, जो सारतः प्रभाव न डालते हों, कर सकेगी, जो परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित हों।

१(ख)

२. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(१) 'विद्यापरिषद्' 'सभा' और 'कार्यपरिषद्' से विश्व-विद्यालय की क्रमशः विद्यापरिषद्, सभा और कार्यपरिषद् अभिप्रेत है;

(२) 'सम्बद्ध महाविद्यालय' से ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों तथा किसी विश्वविद्यालय के परिनिमयों के अनुसार उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो;

(३) 'विश्वविद्यालय का क्षेत्र' से विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में यथास्थिति, धारा ५ या धारा ४ द्वारा या के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है;

(४) 'सहयुक्त महाविद्यालय' से कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो और २इस अधिनियम तथा विश्वविद्यालय के परिनिमयों के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय की उपाधि ग्रहण करने के निमित्त आवश्यक शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए प्राधिकृत हो;

(५) 'स्वायत्त महाविद्यालय' से कोई ऐसा सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अभिप्रेत है, जो धारा ४२ के उपबन्धों के अनुसार ऐसा घोषित किया जाय;

३(५क) पद 'नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य वही होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम १९९४ में है;

१(५ख) 'केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड' का तात्पर्य धारा १८-ख में निर्दिष्ट केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड से है;

(६) 'घटक महाविद्यालय' से कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा पोषित हो, और परिनिमयों द्वारा इस प्रकार नामांकित हो;

२(६क) 'समन्वय परिषद्' का तात्पर्य धारा १८-क के अधीन गठित समन्वय परिषद् से है;

(७) 'निदेशक' से किसी संस्थान के सम्बन्ध में उस संस्थान का प्रधान अभिप्रेत है;

(८) 'वर्तमान विश्वविद्यालय' से अभिप्राय है, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय ३(जो कि २४ सितम्बर, १९९५ से डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा कहा जायेगा), गोरखपुर विश्वविद्यालय ४डजो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम १९९७ के प्रारम्भ की तिथि से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर कहा जायेगा, कानपुर विश्वविद्यालय ५डजो कि २४ सितम्बर, १९९५ से श्री शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९९७ के प्रारम्भ की तिथि से क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर कहा जायेगा या मेरठ विश्वविद्यालय ६(जो कि १७ जनवरी १९९४ से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ कहा जायेगा) या सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ जैसा मामला या सन्दर्भ हो;

(९) 'संकाय' से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

१(९क) 'आधारभूत पाठ्यक्रम' का तात्पर्य स्वयं के और अधिक बोध और सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यावरण की जानकारी के पाठ्यक्रम से है;

(१०) 'विश्वविद्यालय का छात्र निवास (या महाविद्यालय)' से छात्रों के निवास की ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हो और जिसमें पाठन तथा अन्य अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था हो;

(११) 'विश्वविद्यालय का छात्रावास' से छात्र निवास से भिन्न छात्रों के निवास की ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हो तथा 'सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का छात्रावास' से उस महाविद्यालय के छात्रों के निवास की इकाई अभिप्रेत है;

(१२) 'संस्थान' से धारा ४४ के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित कोई संस्थान अभिप्रेत है;

(१३) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्रबन्धतन्त्र' से ऐसी प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय अभिप्रेत है, जिस पर उस महाविद्यालय के कार्यकलाप के प्रबन्ध का भार है और जो कि विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त हो;

२परन्तु किसी म्युनिसिपल बोर्ड या नगर महापालिका द्वारा पोषित किसी ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में पद 'प्रबन्धतन्त्र' का तात्पर्य, यथास्थित, ऐसे बोर्ड या महापालिका की शिक्षासमिति से है, और पद 'प्रबन्धतन्त्र के अध्यक्ष' का तात्पर्य ऐसी समिति के अध्यक्ष से है;

(१४) 'विहित' से परिनिमयों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(१५) 'प्राचार्य' से किसी सम्बद्ध, सहयुक्त या घटक महाविद्यालय के सम्बन्ध में ऐसे महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है;

(१६) 'रजिस्ट्रीकृत स्नातक' से इस अधिनियम या इसके द्वारा निरस्त किसी अधिनियमिनि के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत विश्वविद्यालय का कोई स्नातक अभिप्रेत है;

(१७) 'परिनियम', 'अध्यादेश' और 'विनियम' से क्रमशः विरवविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;

(१८) 'स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रम' से ऐसा पाठ्यक्रम अभिप्रेत है, जिसके सम्बन्ध में सभी वित्तीय दायित्वों का वहन सहयुक्त या सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र या विरवविद्यालय द्वारा किया जायेगा;

(१९) 'अध्यापक ग्यारह-क' के सिवाय इस अधिनियम के उपबन्धों के सम्बन्ध में 'अध्यापक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो विरवविद्यालय द्वारा अनुमोदित किसी विषय या पाठ्यक्रम में शिक्षण के लिए या अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिए विरवविद्यालय या उसके किसी संस्थान या घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में नियोजित हो और इसके अन्तर्गत प्राचार्य या निदेशक भी हैं;

(२०) 'विरवविद्यालय' से कोई विद्यमान विरवविद्यालय या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् धारा ४ के अधीन स्थापित कोई नया विरवविद्यालय अभिप्रेत है;

(२१) 'अनौपचारिक-महाविद्यालय' से धारा ४२ के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में मान्यताप्राप्त सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अभिप्रेत है।

अध्याय-२

विरवविद्यालय

३. (१) किसी विरवविद्यालय में कुलाधिपति, कुलपति से तथा कार्यपरिषद्, सभा और विद्यापरिषद् के सदस्यों के रूप में तत्समय पद धारण करने वाले व्यक्तियों से मिलकर एक निर्गमित निकाय उस विरवविद्यालय के नाम से गठित होगा।

(२) प्रत्येक विरवविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा, और उसको एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा अपने नाम से वह वाद लायेगा और उस पर वाद लाया जायेगा।

४. (१) ऐसी तारीख से जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, अनुसूची में क्रमशः विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये नैनीताल में कुमायूँ विरवविद्यालय और श्रीनगर (जिला गढ़वाल) में गढ़वाल विरवविद्यालय स्थापित किया जायेगा।

(१-क) १ ऐसी तारीख या तारीखों से जिसे या जिन्हें राज्य सरकार राजपत्र से अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे—

(क) झाँसी में बुन्देलखण्ड विरवविद्यालय;

(ख) फैजाबाद में अवध विरवविद्यालय २३जिसे १८ जून, १९९४ से डाक्टर राममनोहर लोहिया विरवविद्यालय, फैजाबाद तथा ११ जुलाई, १९९५ से डॉक्टर राममनोहर लोहिया अवध विरवविद्यालय, फैजाबाद कहा जायेगा।

(ग) बरेली में रुहेलखण्ड विरवविद्यालय ३३जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विरवविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९९७ के प्रारम्भ की तिथि से महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विरवविद्यालय, बरेली कहा जायेगा।

(घ) १ पूर्वांचल विरवविद्यालय, जौनपुर को उत्तर प्रदेश राज्य विरवविद्यालय (संशोधन) अधिनियम १९९९ के प्रारम्भ की तिथि से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विरवविद्यालय, जौनपुर के नाम से जाना जायेगा।

अनुसूची में क्रमशः विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये स्थापित किये जायेंगे।

(१-ख) उपधारा (१-क) के अधीन स्थापित किये जाने वाले विरवविद्यालय के सम्बन्ध में—

(क) राज्य सरकार विरवविद्यालय के (कुलाधिपति से भिन्न) अन्तर्निम्न अधिकारियों को नियुक्त करेगी, और ऐसे विरवविद्यालय के लिये ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, अन्तर्निम्न प्राधिकारियों का गठन करेगी;

(ख) २खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य ३३१ दिसम्बर, १९८१ तक या खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारियों को नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे; "यह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष से अनाधिक काल तक के लिए बढ़ा सकती है।"

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे विरवविद्यालय के अधिकारियों को नियुक्ति, तथा प्राधिकारियों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगी, कि खण्ड (ख) के अधीन अन्तर्निम्न अधिकारियों तथा सदस्यों को अलग-अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके।

(२) चारणसी में काशीविद्यापीठ नामक संस्था को १(जिसे दिनांक ११ जुलाई, १९९५ से महात्मा गाँधी काशीविद्यापीठ कहा जायेगा) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्थापित विरवविद्यालय उस तारीख से समझा जायेगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त, नियत करे।

(३) उपधारा (२) के अधीन नियत तारीख से—

(ग) काशीविद्यापीठ, चारणसी नामक सोसायटी विघटित हो जायेगी, और सोसायटी के सभी जंगम और स्थावर सम्पत्ति और अधिकार, शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार विरवविद्यालय को अन्तर्गत और उसमें निहित हो जायेंगे, और उनका प्रयोग उन्हीं उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जिनके लिये विरवविद्यालय स्थापित किया गया है,

(ग) उक्त सोसायटी के सभी ऋण, दायित्व तथा बाध्यताएँ विरवविद्यालय को अन्तर्गत हो जायेंगे, और तत्पश्चात् उनके द्वारा उन्मोचित तथा तुष्ट किये जायेंगे;

(गग) किसी अधिनियमित में उक्त सोसायटी के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ लगाया जायेगा, मानों वे विरवविद्यालय के प्रति निर्देश हों;

(गघ) किसी विल, विलेख या अन्य दस्तावेज का चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् तैयार या निर्घाटित किया गया हो और जिसमें उक्त सोसायटी के पक्ष में कोई बसीयत, दान या न्यास हो, ऐसा अर्थ लगाया जायेगा, मानों उसमें ऐसी सोसायटी के स्थान पर विरवविद्यालय का नाम हो;

(गङ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त तारीख के ठीक पूर्व उक्त सोसायटी में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति उक्त तारीख से उसी अवधि के लिए और सेवा की उन्हीं शर्तों, अथवा तत्सदृश शर्तों पर, जो परिवर्तित परिस्थितियों में अनुज्ञेय हों, विरवविद्यालय का उसी प्रकार कर्मचारी हो जायेगा, जिस प्रकार वह ऐसी अधिसूचना जारी न किए जाने पर उक्त सोसायटी के अन्तर्गत होता।

(४) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) किसी विरवविद्यालय का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;

(ख) किसी विरवविद्यालय का क्षेत्र कम कर सकेगी, या

(ग) किसी विरवविद्यालय का नाम परिवर्तित कर सकेगी;

परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना, सिवाय राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के पूर्वानुमोदित संकल्प के जारी नहीं की जायेगी।

(५) इस धारा के अधीन किसी अधिसूचना में अनुसूची और ऐसी अधिसूचना से प्रभावित होने वाले विरवविद्यालय या विरवविद्यालयों के परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमनों का संशोधन करने के लिए ऐसे उपबन्ध हो सकेंगे, जो अधिसूचना के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों, और तत्पश्चात् अनुसूची तथा परिनियम, अध्यादेश और विनियम तदनुसार संशोधित हो जायेंगे।(६) उपधारा (५) के उपबन्धों को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन किसी अधिसूचना में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात्—

(क) उक्त अधिसूचना से प्रभावित विरवविद्यालय या विरवविद्यालयों के प्राधिकरणों में विभिन्न हितों अथवा वर्गों के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित उपबन्ध;

(ख) तत्समय विद्यमान किसी विरवविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा उसी विरवविद्यालय के रजिस्ट्रीकृत स्नातक बने रहने अथवा किसी नए स्थापित विरवविद्यालय में रजिस्ट्रीकृत करने के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उपबन्ध, किन्तु कोई व्यक्ति एक से अधिक विरवविद्यालय का रजिस्ट्रीकृत स्नातक नहीं होगा;

(ग) ऐसे अन्य अनुपूरक आनुवंशिक तथा पारिणामिक उपबन्ध जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा ५ के प्रयोजनों के लिए 'काशीविद्यापीठ' से चारणसी में काशी विद्यापीठ नामक संस्था अभिप्रेत है, जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत काशीविद्यापीठ नामक सोसायटी द्वारा स्थापित और प्रशासित है, जिसके सम्बन्ध में उक्त सोसायटी की निर्देशक सभा ने २८ मई, १९७२ को यह अनुरोध करते हुए एक संकल्प पारित किया था कि राज्य सरकार उक्त संस्था को सम्पूर्ण जंगम और स्थावर संपत्तियों को ग्रहण कर ले और उसे राज्य विरवविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दे।

५. (१) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अल्पकालिक उपबन्धित के सिवाय (सम्पूर्णान्त संस्कृत विरवविद्यालय तथा काशी-विद्यापीठ से भिन्न) प्रत्येक विरवविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अनुसूची में उसके सामने तत्समय विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में किया जा सकेगा।

(२) सम्पूर्णान्त संस्कृत विरवविद्यालय भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में स्थित संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकेगा और ऐसे राज्य क्षेत्र के अथवा विदेश के अध्यापकों को मान्यता प्रदान कर सकेगा तथा वहाँ के अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुमति दे सकेगा

परन्तु विरवविद्यालय सम्बद्ध सरकार की सिफारिश के बिना—

(क) उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित किसी संस्था को सम्बद्ध नहीं करेगा, अथवा

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित तथा सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी संस्थान में नियोजित किसी अध्यापक को मान्यता नहीं प्रदान करेगा।

८. (१) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, विरवविद्यालय या उसके द्वारा अनुपस्थित किसी घटक महाविद्यालय अथवा किसी संस्थान का, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला तथा उपस्कर भी हैं और विरवविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा संचालित या कराई गई परीक्षा, अध्यापन-कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करना का, और उसी प्रकार विरवविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय अथवा संस्थान के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(२) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन कोई निरीक्षण या जाँच कराने का निश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विरवविद्यालय को देगी, और ऐसे निरीक्षण या जाँच में परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विरवविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप से सुनवाई का अधिकार होगा।

परन्तु ऐसे निरीक्षण या जाँच में विरवविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी के रूप में न तो उपस्थित होगा, न अधिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी, जो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने के लिये तथा दस्तावेजों और सारवात्क्य वस्तुओं को प्रस्तुत करने के निमित्त बाध्य करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त हैं और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ३४५ और ३४६ के अर्थात्तगत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, १८६० की धारा १९३ और २२८ के अर्थात्तगत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(४) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को सम्बोधित करेगी, और कुलपति, राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह कार्यपरिषद् को सूचित करेगा।

(५) कुलपति तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे, उसे कार्यपरिषद् द्वारा की गयी या की जाने के लिए प्रतिस्थापित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(६) यदि विरवविद्यालय के प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करें, तो राज्य सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विरवविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जिसे वह ठीक समझे और विरवविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(७) राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (१) के अधीन कराये गये निरीक्षण या जाँच की और उपधारा (५) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक सूचना की और उपधारा (६) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निर्देश की और ऐसे निर्देश का पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियाँ भी भेजेगी।

(८) उपधारा (६) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कुलाधिपति को, उपधारा (७) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री पर, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी किसी जाँच की कोई रिपोर्ट भी है, विचार करने के पश्चात् वह यह हो कि कार्यपरिषद् अपने कृत्यों का पालन करने में असफल रही है अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, तो वह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उसे अवसर देने के पश्चात् वह आदेश दे सकेगा कि उक्त कार्यपरिषद् को अतिरिक्त करते हुए कुलाधिपति तथा दस से अधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जिन्हें कुलाधिपति इस निमित्त नियुक्त करे, जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यपरिषद् का कोई सदस्य भी है, गठित एक तदर्थ समिति दो वर्ष से अधिक ऐसी अवधि के लिए और उपधारा ११ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जिसे कुलाधिपति समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के अधीन कार्यपरिषद् की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और अनुपालन करेगी।

(९) उपधारा (८) के अधीन गठित तदर्थ कार्यपरिषद् की संरचना पर धारा २० की कोई बात लागू न होगी।

(१०) उपधारा (८) के अधीन आदेश दिये जाने पर, उससे अतिरिक्त कार्यपरिषद् के सभी सदस्यों को, जिसके अन्तर्गत परदेन सदस्य भी हैं, पदावधि समाप्त हो जायेगी और ऐसे सभी सदस्य इस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे।

(११) उपधारा (८) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन की अवधि में, इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित उपान्तर्गत के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) धारा २० की उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित समझी जायेगी—

“(६) कार्यपरिषद् का अधिवेशन प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार होगा।”;

(ख) धारा २१ की उपधारा (१) में “इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए” शब्दों के पश्चात्, “तथा कुलाधिपति के भी नियन्त्रणाधीन रहते हुए” शब्द अन्तःस्थापित समझे जायेंगे।

(ग) धारा २४ की उपधारा (२) में, “और सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अभ्यपेक्षा पर” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

(१२) उपधारा (८) के अधीन आदेश के प्रवर्तन की अवधि की समाप्ति से धारा २० के उपबन्धों के अनुसार एक नई कार्यपरिषद् गठित की जायेगी।

(१३) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जैसा कि वे उपधारा (११) के उपबन्धों के कारण उपान्तरित समझे जायेंगे, उपधारा (८) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन की अवधि में बनाया गया कोई परिनिवम, अध्यादेश, विनियम या क्वा गवा आदेश, ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर भी, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा, जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संशोधित, निरस्त या विच्छिद्यत न कर दिया जाए।

अध्याय-४-क

समन्वय परिषद् और केन्द्रीय

अध्ययन बोर्ड

१८क.१ (१) एक समन्वय परिषद् होगी, जिसका अध्यक्ष कुलाधिपति होगा और उसमें निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्—

(एक) समस्त विरवविद्यालयों के कुलपति;

(दो) उत्तर प्रदेश उच्चशिक्षा परिषद् का अध्यक्ष;

(तीन) राज्य सरकार के न्याय विभाग का सचिव;

(चार) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव;

(पाँच) राज्यपाल का सचिव;

(छ) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव, जो समन्वय परिषद् का परदेन सचिव होगा।

(२) विरवविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों या उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुए समन्वय परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्—

(क) स्नातक उपाधि के लिये अध्यापन के सामान्य पाठ्यक्रम की सिफारिश करना;

(ख) आधारभूत पाठ्यक्रम के लिये या प्रत्येक विषय या विषयों के समूहों के लिये केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(ग) विरवविद्यालयों के बीच शैक्षिक कार्यक्रमों में सहयोग के उपायों और साधनों की सिफारिश करना;

(घ) विरवविद्यालयों के सामान्य हित के विषयों पर विचार करना और सिफारिश करना।

(३) समन्वय परिषद् की बैठक लखनऊ में या ऐसे अन्य स्थान पर और ऐसे अनुरात पर, जैसा कुलाधिपति विनिश्चय करें, होगी। १८ख. (१) आधारभूत पाठ्यक्रम या ऐसे अन्य विषयों या विषयों के समूह के लिए, जिन्हें कुलाधिपति समन्वय परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचित करें, केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड होगा।

(२) आधारभूत पाठ्यक्रम के केन्द्रीय बोर्ड में निम्नलिखित होंगे—

(एक) प्रत्येक विरवविद्यालय के उपाचार्य के अनिमित्त पद का एक अध्यापक या सम्बद्ध या सहयुक्त विद्यालय का प्राचार्य,

जिसे कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा, और

(दो) पाँच शिक्षाविद् को, जो विरवविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिष्ठित आचार्यों की सूची में हों, जिन्हें समन्वय समिति

की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

(३) अन्य विषयों या विषयों के समूह के लिये केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित होंगे—

(एक) विषय या विषयों के समूह के सम्बन्ध में, जिनके लिये केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड का गठन किया जाना है, प्रत्येक

विरवविद्यालय के अध्ययन बोर्ड का संयोजक ;

परन्तु यह कि यदि किसी विरवविद्यालय में विषय या विषयों के समूह में अध्ययन बोर्ड न हो, तो कुलपति विरवविद्यालय में उपाचार्य के स्तर से अनिमित्त किसी अध्यापक या किसी सम्बद्ध या सहयुक्त विद्यालय के प्राचार्य को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है।

(दो) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त विद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर तक विषय का अध्यापन करने वाला एक विभागाध्यक्ष, जिसे कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(तीन) किसी सम्बन्ध या सहयुक्त विद्यालय में स्नातक स्तर तक विषय का अध्यापन करने वाला एक विभागाध्यक्ष, जिसे कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा;

(चार) विषय के तीन विरोधज्ञ, जो विरवविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिष्ठित अध्यापकों की सूची में हों, जिन्हें समन्वय समिति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा; और

(पाँच) राज्य के बाहर से विषय के दो अन्य विरोधज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

(४) कुलाधिपति केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष को मनोनीत करेंगे—

(ग) आधारभूत पाठ्यक्रम के लिए उपधारा २ के खण्ड (एक) में दिये सदस्यों के नाम से तथा;

(ग) अन्य विषय या विषयों के समूह के लिए उपधारा ३ के खण्ड (एक) और (दो) में दिये गये नामों में से।

(५) केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के गठन और परदेन सदस्यों से भिन्न उसके सदस्यों के नाम-निर्देशन को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

(६) केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की अवधि उपधारा (५) में निर्दिष्ट अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष होगी और सदस्यों की पदावधि केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की अवधि के साथ समाप्त होगी।

परन्तु यह कि किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये नाम-निर्दिष्ट किसी सदस्य को पदावधि उसके पूर्ववर्ती की शेष पदावधि तक के लिए ही होगी।

(७) विरवविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों या उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के कृत्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्—

(क) समन्वय परिषद् की सिफारिशों और कुलाधिपति के अनुमोदन के अधीन अध्ययन, और परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों, और शैक्षिक कैलेंडर निर्धारित करना और स्नातक पूर्व-स्तर के लिये पाठ्यपुस्तकों और अन्य पुस्तकों की सिफारिश करना,

(ख) समन्वय परिषद् या कुलाधिपति द्वारा निर्दिष्ट किसी विषय पर विचार करना और रिपोर्ट देना, और

(ग) इस अधिनियम के संगत ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन ऐसे समय के भीतर करना, जो कुलाधिपति के लिखित आदेश द्वारा सम्पादन करने की अपेक्षा की जाय।

(८) अपने कृत्यों का अनुपालन करने में केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड ऐसे विरोधज्ञों से भी परामर्श कर सकता है, जो उसके सदस्य नहीं हैं।

(९) कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड की सिफारिशों राज्य में सभी विरवविद्यालयों के सम्बन्ध में उस दिनांक से प्रवृत्त होंगी, जो कुलाधिपति द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(१०) कुलाधिपति किसी भी समय केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड के किसी बिनियम को इस आधार पर निलम्बित, उपात्तरित या संशोधित कर सकता है कि यह इस धारा में दिये गये उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता है और विषय पर नये सिरे से विचार करने के लिये बोर्ड को निर्देश दे सकता है।

१८ ग. उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अध्यादेश, १९९५ के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, समन्वय परिषद् और केन्द्रीय अध्ययन बोर्ड को सचिवीय सहायता देगी।

अध्याय-५

विरवविद्यालय के प्राधिकारी

१९. विरवविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे—

(क) कार्यपरिषद्

(ख) सभा

(ग) विद्यापरिषद्

(घ) वित्त समिति,

(ङ) संकायों के बोर्ड, यदि कोई हों,

(च) विरवविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समितियाँ

(छ) प्रवेश समिति,

(ज) परीक्षा समिति, और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिचयों द्वारा विरवविद्यालयों के प्राधिकारी होने के लिए घोषित किये जाँय।

२०. (१) कार्यपरिषद् में निम्नलिखित होंगे—

(क) कुलपति जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो,

(ग) दो संकायों के संकायाध्यक्ष, विहित रीति में चक्रानुक्रम से;

परन्तु जब तक कि विरवविद्यालय में संकायों का गठन न हो जाय, दो संकायों के संकायाध्यक्षों के निर्देश को दो विभागों के विभागाध्यक्षों का निर्देश समझा जायेगा।

(ग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित आचार्यों या उपाचार्यों में से दो सदस्य और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित आचार्यों या उपाचार्यों में से दो सदस्य;

*१(घ) (१) प्रतिकुलपति से अथवा उपर्युक्त खण्ड (ग) में निर्दिष्ट संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष से भिन्न विरवविद्यालय का एक आचार्य, एक उपाचार्य तथा एक प्राध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है, और

(२) खण्ड (ब) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्बन्ध महाविद्यालय का एक प्राचार्य तथा एक अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है।

*२(घ)

*३(ङ)

(च) सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने गये चार व्यक्ति, जो विरवविद्यालय या संस्थान या किसी षटक महाविद्यालय या सम्बन्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अथवा छात्र निवास हॉल या छात्रावास में छात्र के रूप में नामावलीगत न हों या की सेवा में न हों।

(छ) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट शिक्षा-क्षेत्र में प्रतिष्ठित चार व्यक्ति।

(परन्तु इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा होगा, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो।)

(ज) उपशिक्षानिदेशक (संस्कृत) उत्तर प्रदेश, और

२(झ) विरवविद्यालय के अनुसन्धान संस्थान के निदेशक तथा पुस्तकाध्यक्ष आनुकूलिक पदावधियों में, जिसमें प्रथम पदावधि में उक्त निदेशक पद धारण करेगा,

३(ब) धारा (५) उपधारा (४) के परन्तुक में निर्दिष्ट आधुनिक महाविद्यालय के प्राचार्य।

४(२) उपधारा (१) के खण्ड (ग), (गा)५ तथा (घ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी और उसके खण्ड (च) तथा (झ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी। (छ) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(३) कोई भी व्यक्ति, उपधारा (१) के खण्ड (च) और (छ) के अधीन, कार्यपरिषद् का लगातार दो से अधिक पदावधि के लिये सदस्य न होगा।

(४) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति कार्यपरिषद् के सदस्य के रूप में तब तक निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह स्नातक न हो।

१ स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ पदस्नातक के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जिसने विरवविद्यालय या राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी द्वारा संचालित शास्त्री परीक्षा या विरवविद्यालय द्वारा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(५) कोई भी व्यक्ति कार्यपरिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह या उसका सम्बन्धी विरवविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिये कोई पारिश्रमिक अथवा विरवविद्यालय को माल प्रदाय करने को या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने को कोई संविदा स्वीकार करता है।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विरवविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्र-निवास या छात्रावास के अधोसक या वार्डन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिये कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण— इस धारा में, 'नातेदार' का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ६ में परिभाषित नातेदारों से है और उसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहन, भतीजा और भतीजी भी हैं।

२१. (१) कार्यपरिषद् विरवविद्यालय की मुख्य कार्य-निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्—

(ग) विरवविद्यालय को सम्पत्ति तथा निधियों को धारण करना और उन पर नियन्त्रण रखना,

(ग) विरवविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना,

(ग) परिचयों तथा अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना,

- () विशिष्ट परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालयों के व्यवसायिकार में रखी गयी किसी निधि का प्रशासन करना,
- () विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना,
- () परिणयों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, निर्यन छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा अन्य पारितोषिक प्रदान करना, () विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना, और उनके कर्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना, और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना,
- () परीक्षकों की फीस, उपलब्धियों तथा यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना,
- () धारा ३७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकारों को प्रदान करना अथवा पहले से ही सम्बद्ध या मान्यताप्राप्त किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को बहाना या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कमी करना,
- () संस्थानों, सम्बद्ध, सहयुक्त और घटक महाविद्यालयों, छात्र-निवास, छात्रावासों तथा छात्रों के अन्य निवास स्थानों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना और निर्देश देना,
- () विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार तथा प्रयोग के सम्बन्ध में निर्देश देना,
- () विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग तथा अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों में परिणयों तथा अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियमित तथा प्रवर्तित करना,
- () विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार तथा अन्य सभी प्रशासकीय कार्य-कलापों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारों को नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे,
- () विश्वविद्यालय के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत न्यास तथा विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टॉक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे, अथवा भारत में स्थावर सम्पत्ति तय करने में विनिहित करना और समय-समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना,
- () विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर तथा साधन और अन्य साधनों की व्यवस्था करना,
- () विश्वविद्यालय की ओर से सविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और निरस्त करना,
- () इस अधिनियम, परिणयों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय तथा घटक, सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित और निर्धारित करना।

(२) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्यपरिषद्, बन्धक, विक्रय, विनियम, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तर्गत करेगी और न सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिए कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार की पूर्ण मंजूरी के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूत पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(३) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किए बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिणयों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो, और सिवाय राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के १ अथवा सिवाय राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार कोई भी पद विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा पोषित किसी भी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय में सृजित नहीं किया जाएगा।

२(३क) कार्यपरिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से सृजित कर सकती है कि ऐसा अध्यापक, जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महत्त्व के किसी उत्तरदायी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिणयों के अनुसार अपना लीपन (धारणाधिकार) और ज्वेष्टता बनाये रख सके और साथ ही अपने समनुदेशन की अवधि में पूर्ववत् अपने वेतनमान में वेतन वृद्धियाँ अर्जित कर सके और भविष्यनिधि में अंशदान कर सके और सेवानिवृत्ति के लाभ, यदि कोई हो, प्राप्त कर सके।

परन्तु ऐसे समनुदेशन की अवधि के लिए ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।

(४) विश्वविद्यालय या किसी संस्थान अथवा घटक महाविद्यालय या कोई सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्ते वही होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।

(५) कार्यपरिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(६) विद्यापरिषद् और सम्बद्ध संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्यपरिषद्, अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(७) कार्यपरिषद् सभा के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक् रूप से विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी, जिसे वह ठीक समझे और सभा को यथास्थिति की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी।

(८) कार्यपरिषद् परिणयों में अधिकृत किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

२२. (१) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

वर्ग १-पदेन सदस्य

- () कुलाधिपति,
- () कार्यपरिषद् के सदस्य,
- () वित्त अधिकारी,

१(क) निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, उत्तर प्रदेश।

वर्ग २-आजीवन सदस्य

() किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में प्रत्येक व्यक्ति जो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व सभा या नियामक सभा (सीनेट) का आजीवन सदस्य था।

वर्ग ३-अध्यापकों आदि के प्रतिनिधि

() विश्वविद्यालय तथा उसके द्वारा पोषित घटक महाविद्यालयों के सभी विभागाध्यक्ष,

१()

२()

३()

() पन्द्रह अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है,

४()

वर्ग ४-रजिस्ट्रीकृत स्नातक

५() ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के, जिनके पास कम से कम आचार्य की उपाधि हो, दस प्रतिनिधि, जो ऐसी अवस्थिति के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा जो विहित की जाय, अपने में से अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकलसंक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

वर्ग ५-छात्रों का प्रतिनिधित्व

१() प्रत्येक संकाय का एक छात्र जो उस संकाय में विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती शास्त्री परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में आचार्य परीक्षा के लिये शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हो :

परन्तु जब तक कि किसी संकाय का गठन न हो जाय, दो छात्र जो विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती शास्त्री परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में आचार्य परीक्षा के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हों, इस खण्ड के अधीन सभा के सदस्य होंगे।

(1) विधान-परिषद् द्वारा निर्वाचित उसके दो सदस्य,

(2) विधान-सभा द्वारा निर्वाचित उसके पाँच सदस्य।

(2) उपधारा (1) में वर्णित सिवाय वर्ग १, २ और ५ के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी और उक्त वर्ग के ५ सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

२३. सभा एक सलाहकार निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिये उपायों का सुझाव देना,

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं तथा उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना,

(ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो उसे सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जायें, सलाह देना, और

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का सम्पादन करना, जो उसे इस अधिनियम या परिणियमों अथवा कुलाधिपति द्वारा सौंपे जायें।

२४. (1) सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसी तारीख को होगा, जो कुलपति द्वारा नियत की जाती है और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।

(2) कुलपति, जब कभी वह ठीक समझे, सभा का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा और सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अभ्यपेक्षा पर सभा का विशेष अधिवेशन बुलाएगा।

२५. (1) विद्यापरिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य विद्यानिकाय होगी और इस अधिनियम, परिणियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसन्धान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियन्त्रण और साधारण विनियमन करेगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर, जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी हैं, कार्यपरिषद् को सलाह दे सकेगी; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, जो उसे परिणियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किए जायें।

(2) विद्यापरिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(1) कुलपति,

(2) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, यदि कोई हों,

(3) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष और यदि विश्वविद्यालय में किसी विषय में कोई विभाग न हो, तो सम्बद्ध संकाय में उक्त विषय का प्रतिनिधित्व करने वाला सम्बद्ध महाविद्यालयों से ज्येष्ठतम अध्यापक,

(4) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों,

१(1) निदेशक, अनुसन्धान संस्थान

२(1) निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला, उत्तर प्रदेश

(5) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के तीन प्राचार्य, जिनका विहित रीति में चक्रानुक्रम से, चयन किया जाएगा,

(6) पन्द्रह अध्यापक, जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है,

(7) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष

(8) विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष और

(9) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पाँच व्यक्ति, जो विहित रीति से सहयोजित किये जायेंगे।

'परन्तु यदि इस उपधारा के अधीन गठित विद्या-परिषद् में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित कोई सदस्य न हो तो कुलपति विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित दो सदस्य और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित दो सदस्य विहित रीति से चक्रानुक्रम से नाम-निर्दिष्ट करेगा।'

(2) धारा १६५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि वही होगी, जो विहित की जाय।

२६. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे—

(क) कुलपति,

२(क क) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव,

(क क क) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव,

(ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो,

(ग) कुलसचिव,

३(1) परीक्षा नियन्त्रक,

(घ) कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित एक ऐसा व्यक्ति, जो कार्यपरिषद् या विद्यापरिषद् का सदस्य या विश्वविद्यालय या किसी संस्थान या षटक महाविद्यालय में सेवा करने वाला व्यक्ति या किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति का सदस्य या ऐसे महाविद्यालय की सेवा करने वाला व्यक्ति न हो, और

(ङ) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

४(१क) उपधारा (१) के खण्ड (कक) या खण्ड (ककक) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी बैठक में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा।

(2) वित्त समिति, कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से, वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्यपरिषद् पर आबद्ध करेगी।

(3) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, जो इस अधिनियम या परिणियमों द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जायें।

१(४) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव को वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्यपरिषद् इस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्यपरिषद्, वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो, तो वह निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्यपरिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो, तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निश्चय अन्तिम होगा।

२७. (१) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे, जो विहित किये जाँय।

(२) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे, जो विहित किये जाँय और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे, जो उसे अध्यादेश द्वारा सौंपे जाँय।

(३) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (जिसके अन्तर्गत उसके सदस्यों की पदावधि भी है) तथा शक्तियाँ और कर्तव्य वही होंगे, जो विहित किये जाँय।

*१(४) प्रत्येक संकाय में एक संकायाध्यक्ष होगा, जो आचार्यों में से, चक्रानुक्रम से, ज्येष्ठताक्रम में चुना जाएगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

परन्तु यह कि किसी आयुर्वेदिक महाविद्यालय की दशा में, ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य आयुर्वेद संकाय का पदेन संकायाध्यक्ष होगा।

परन्तु यह और कि ऐसे किसी संकाय की दशा में जहाँ कोई आचार्य न हो, वहाँ संकायाध्यक्ष का पद उस संकाय के अध्यापकों द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से धारण किया जाएगा।

(५) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह—

(क) संकाय के विभागों में अध्यापन तथा अनुसन्धान कार्यों के संगठन तथा संचालन, तथा

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिणयनों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक् पालन के लिये उत्तरदायी होगा।

१(६) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा, जिसकी नियुक्ति परिणयनों द्वारा विनियमित की जायेगी।

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति, जो इस उपधारा के प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक पूर्व विभागाध्यक्ष का पद धारण कर रहा हो, इस अधिनियम और परिणयनों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उन्हीं शर्तों तथा निबन्धों पर पद धारण किये रहेगा, जिन पर उक्त तारीख के ठीक पूर्व धारण किये हो।

(७) विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसको ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, जो अध्यादेशों में उपबन्धित किये जाँय।

(८) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार, अध्ययन बोर्डों को गठित किया जायेगा और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय सौंपे जा सकेंगे।

२८. (१) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी, जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में होगा।

(२) प्रवेश समिति को उतनी उपसमितियाँ नियुक्त करने की शक्ति होगी, जितनी वह ठीक समझे।

(३) विद्यापरिषद् के अधीक्षणधीन तथा उपधारा (५) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानों को अधिकारित करेगी और विश्वविद्यालय द्वारा पोषित संस्थान या घटक महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रवेश प्राधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति या उप-समिति को भी नाम-निर्दिष्ट कर सकेगी।

(४) उपधारा (५) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति राज्य सरकार द्वारा पोषित घटक महाविद्यालयों में और सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये मापदण्ड या रीति १(जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किए जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) के सम्बन्ध में कोई निर्देश दे सकेगी और ऐसे निर्देश ऐसे महाविद्यालयों पर आवद्धकर होंगे।

२(५) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी—

३(क) किसी विश्वविद्यालय, संस्थान, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या सहयुक्त महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये प्रवेश के लिये ऐसे आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उस निमित्त बनाये, परन्तु इस खण्ड के अधीन आरक्षण किसी पाठ्यक्रम में स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन आरक्षण संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के मामले में लागू नहीं होगा।

(ख) मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में, और शिक्षा या आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में उपाधियों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किए जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) ऐसे आदेशों द्वारा (जिसे आवश्यक होने पर भूतलक्षी प्रभाव भी दिया जा सकेगा, किन्तु १ जनवरी, १९७९ के पूर्व से प्रभावी नहीं होगा) विनियमित होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उस निमित्त बनाये :

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रवेश के विनियमन का कोई आदेश अल्पसंख्यक वर्गों के अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से असंगत न होगा।

१(ग) खण्ड (क) के अधीन कोई आदेश बनाने में राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि कोई व्यक्ति, जो इस आदेश का उल्लंघन करने या उसके प्रयोजनों को विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है, तो वह तीन मास से अधिक की अवधि के लिये कारावास से या एक हजार रुपये से अनाधिक के जुर्माने से, या दोनों से, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, दण्डनीय होगा।

२(५क) उपधारा (५) के खण्ड (क) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा २३-क की उपधारा (१) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, जैसे कि वे किसी उत्तर-प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

(६) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी महाविद्यालय में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, और ऐसा उल्लंघन करके दिए गए किसी प्रवेश को रद्द करने की कुलपति की शक्ति होगी।

२९. (१) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जो अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में गठित की जाएगी।

(२) धारा ४२ की उपधारा (२) में यथा उपबन्धित के सिवाय, समिति साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी, और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्—

(क) परीक्षकों तथा अनुसूचितों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो, तो उन्हें हटाना,

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके बारे में विद्या-परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना,

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्यापरिषद् से सिफारिश करना,

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्थापित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना।

(३) परीक्षा समिति उतनी उप-समितियाँ नियुक्त कर सकेगी, जितनी वह ठीक समझे और विशिष्टतया किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप-समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

१(४) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या, यथास्थिति, किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिये, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (३) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है।

३०. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य वही होंगे, जो विहित किए जाँय।

३१. *१(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापक एक चयन समिति की सिफारिश पर कार्यपरिषद् द्वारा एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापक विहित रीति से नियुक्त किये जायेंगे। (चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी, जितनी आवश्यक हो)।**

(२) प्रत्येक ऐसे अध्यापक, निदेशक तथा प्राचार्य की नियुक्ति, जो उपधारा (३) के अधीन की गई नियुक्ति न हो, प्रथमतः एक वर्ष के लिए परिबीक्षा पर होगी, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु परिबीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, सेवा-समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा, जब तक कि—

(क) विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् कार्यपरिषद् आदेश न दे दे;

(ख) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्राचार्य की दशा में, प्रबन्ध समिति आदेश न दे दे, और

(ग) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के किसी अन्य अध्यापक की दशा में, प्राचार्य और उस विषय के ज्येष्ठतम अध्यापक (जब तक कि ऐसा अध्यापक, उस विषय का ज्येष्ठतम अध्यापक न हो) की रिपोर्टों पर भी विचार करने के पश्चात् प्रबन्ध समिति आदेश न दे दे;

१ परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को, प्रस्तावित सेवा-समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना, सेवा-समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा;

परन्तु यह भी कि यदि, यथास्थिति, परिबीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिबीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाय, तो परिबीक्षा अवधि तब तक के लिये बढ़ जायेगी, जब तक कि प्रथम परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन कार्यपरिषद् का अन्तिम आदेश या, यथास्थिति, जब तक कि धारा ३५ के अधीन कुलपति के अनुमोदन की संसूचना सम्बद्ध अध्यापक को न दी जाय।

(३) *२(क) आचार्य से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, संकाय के संकायाध्यक्ष, यदि कोई हो, और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति किसी अध्यापक को छुट्टी मंजूर किये जाने के कारण हुई रिक्ति पर चयन समिति को निर्देश किये बिना दस मास से अनधिक की कालावधि के लिये स्थानापन्न नियुक्ति कर सकते हैं; किन्तु किसी अन्य रिक्ति या पद, जिसको छः मास से अधिक की कालावधि के लिए होना सम्भाव्य हो, ऐसे निर्देश के बिना नहीं भरेंगे।

१(ख) जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश के पश्चात्) ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया हो, जिसके छः मास से अधिक चलने की सम्भावना रही हो और जिस पद को बाद में स्थायी पद में परिवर्तित कर दिया गया हो या किसी स्थायी पद पर ऐसी रिक्ति में नियुक्त किया गया हो, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिये छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाय, या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या नव-सृजित हो जाय, वहाँ यथास्थिति, कार्यपरिषद् या प्रबन्धतन्त्र, यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करता, तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर अधिष्ठायी रूप से, चयन समिति को निर्देश के बिना, नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि अध्यापक, ऐसी अधिष्ठायी नियुक्ति के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश के पश्चात् हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन अधिष्ठायी रूप में नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक, जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि-पर्यन्त लगातार काम किया हो, एक वर्ष की अवधि के लिये परिबीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है, और उपधारा (२) के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

१(ग) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जिसकी नियुक्ति प्राध्यापक/अंशकालिक प्राध्यापक के रूप में ३१ दिसम्बर, १९९७ को या उससे पूर्व अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था के रूप में ऐसी नियुक्ति के लिए तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों के अनुसार चयन समिति को निर्देश दिये बिना की गयी थी, कार्यपरिषद् द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किया जा सकता है, यदि उसी विभाग में, उसी संवर्ग और श्रेणी की कोई मौलिक रिक्ति उपलब्ध हो, और यदि ऐसा अध्यापक—

(एक) ३१ दिसम्बर, १९९७ को इस रूप में ऐसी अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में प्रारम्भिक नियुक्ति के दिनाङ्क से निरन्तर कार्य कर रहा हो,

(दो) मौलिक नियुक्ति के दिनाङ्क को प्रवृत्त सुसंगत परिणियमों के उपबन्धों के अधीन पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताएँ रखता हो;

(तीन) कार्यपरिषद् द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो,

ऐसा कोई अध्यापक, जिसे उपर्युक्त प्रकार से अल्पकालिक/अंशकालिक व्यवस्था में नियुक्त किया गया हो, जो इस खण्ड के अधीन कोई मौलिक नियुक्ति नहीं पाता है, ऐसे दिनाङ्क को, जैसा कार्यपरिषद् विनिर्दिष्ट करे, ऐसा पद धारण नहीं करेगा।

(४) (क) विश्वविद्यालय के अध्यापक (किसी संस्थान के निदेशक और घटक महाविद्यालय के प्राचार्य से भिन्न) की नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

(१) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(२) सम्बद्ध विभागाध्यक्ष :

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा, जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो अथवा जब सम्बद्ध पद उसके अधिष्ठायी पद से पीछे हो, और ऐसी दशा में उसका पद विभाग में आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है, तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा;

१ परन्तु यह भी कि जहाँ कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहाँ वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निर्देश दे सकते हैं, जैसी वे उचित समझें;

(३) किसी आचार्य या उपाचार्य की दशा में तीन विशेषज्ञ और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे,

*२(१)

(१) किसी संस्थान या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की दशा में, यथास्थिति, संस्थान का निदेशक या घटक महाविद्यालय का प्राचार्य।

(ख) संस्थान के निदेशक या घटक महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में निम्नलिखित होंगे—

(१) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(२) दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जायेंगे।

*३(ग)

*१(घ)

(५) प्रत्येक पाठ्य-विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्स्थानी संकाय या उत्तर प्रदेश में अथवा उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या-निकायों या अनुसन्धान संस्थाओं से जिन्हें कुलाधिपति आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैल बनायेगा। उपधारा (४) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा, जिसका नाम ऐसे पैल में दिया हो।

*१(ख)

*२(ग) खण्ड (क) में निर्दिष्ट, कोई पैल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

(घ) यथास्थिति, कुलाधिपति या कुलपति, चयन समिति में अपने नाम-निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (४) के अधीन अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट आदेश में संसूचित कर सकेगा। ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो, तो उस व्यक्ति से जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—(१) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को, जिससे स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके भाग १ या २ के लिए पृथक् पाठ्य-क्रम विहित हो, पृथक् पाठ्य-विषय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण—(२) जहाँ चयन किए जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य-विषय के लिए हो, तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य-विषय का हो सकेगा।

(६) उपधारा (४) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायेगा, जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो।

(७) उपधारा (६) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी। *उपरन्तु आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे—

१(७-क) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिए एक या एकाधिक किन्तु तीन से अधिक नामों की सिफारिश करे।

(८) (क) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में, यदि कार्यपरिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो, तो कार्यपरिषद् उस मामले को ऐसे असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

१ परन्तु यह कि यदि कार्यपरिषद् चयन समिति के अधिवेशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय न करे, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायेगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

२(क) जहाँ खण्ड (क) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्यपरिषद् द्वारा विनिश्चय करने की विफलता कार्य-परिषद् के किसी दोष के कारण न हो, तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् से ऐसे समय के भीतर जैसा कुलाधिपति समय-समय पर अनुमत दें, विनिश्चय करने की अपेक्षा कर सकता है और कुलपति को इस प्रयोजन से कार्यपरिषद् को बैठक बुलाने का निर्देश दे सकता है।

परन्तु (१) यदि कार्यपरिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से सहमत नहीं है, तो कार्यपरिषद् ऐसी असहमति के कारणों सहित मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(२) यदि कार्यपरिषद् कुलाधिपति द्वारा अनुमत समय के भीतर विनिश्चय नहीं करती है, तो कुलाधिपति मामले का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

*३(ख)

*१(९) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति के सदस्यों की, ऐसी समिति में विचार-विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य विषय परिणियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(१०) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए चयन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाय, जिनका उत्तर-प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

*२(११)

(१२) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कार्यपरिषद् कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, या प्रबन्धतन्त्र कुलपति के पूर्वानुमोदन से अध्यापक के पद पर, प्रतिनियुक्ति पर, किसी सरकारी सेवक को नियुक्त कर सकता है, जो पद के लिये विहित अर्हताएँ रखता हो।

(१३) किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ का प्राचार्य उपधारा (४) के खण्ड (ख) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर उक्त कालेज के आचार्यों में से नियुक्त किया जायेगा और उपधारा (१०) के उपबन्ध ऐसे चयन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे।

१३१-क. (१) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में धारा ३१ के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किसी प्राध्यापक या उपाचार्य को जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो, जैसी विहित की जाँय, क्रमशः उपाचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है।

(२) ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, दी जायेगी।

(३) इस धारा की किसी बात का कोई प्रभाव धारा ३१ के उपबन्धों के अनुसार सीधी भर्तियों द्वारा भरे जाने वाले विश्वविद्यालय के अध्यापकों के पदों पर नहीं पड़ेगा।

३१-क. २(१) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, लखनऊ विश्वविद्यालय के मेडिसिन या दन्त विज्ञान संकाय में मौलिक रूप से नियुक्त किसी सहायक आचार्य को या उक्त विश्वविद्यालय के उक्त संकाय में मौलिक रूप से नियुक्त या इस धारा के अधीन पदोन्नत किसी सह-आचार्य की, जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो, जैसी विहित की जाँय, सह-आचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन पदोन्नति, धारा ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाँय, दी जायेगी।

स्पष्टीकरण—लखनऊ विश्वविद्यालय के मेडिसिन या दन्त विज्ञान संकाय के सम्बन्ध में धारा ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट शब्द 'उपाचार्य' का अर्थ 'सह-आचार्य' होगा।

१(३) इस अधिनियम की किसी अन्य व्यवस्था में या उपधारा १ या २ में निहित किसी भी तथ्य के बावजूद उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, १९९९ के प्रारम्भ की तिथि से सेवा में कार्यरत और राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश संख्या ८४२/१५-१०-९७-११ (७)/९६, दिनांक ११ अप्रैल, १९९७ के अनुसार, उपधारा १ में उल्लिखित संकाय में प्रोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति प्रोन्नति की तिथि से उपधारा-१ के अधीन प्रोन्नत हुआ माना जायेगा।

३१-ख. २(१) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या उत्तर-प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, १९८० में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्राचार्य या अध्यापक के पद पर नियुक्ति मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज सोसाइटी, इलाहाबाद के नियमों और उपविधियों के अनुसार की जायेगी।

(२) उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम १९९८ के प्रारम्भ के पूर्व उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार की गयी समस्त नियुक्तियाँ उक्त उपधारा के अधीन की गयी समझी जायेंगी, मानो उक्त उपधारा के उपबन्ध सारवान् समय पर प्रवृत्त थे।

३२. (१) परिणियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई वैतनिक अधिकारी और अध्यापक, सिवाय ऐसी लिखित संविदा के, जो इस अधिनियम, परिणियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होगी, नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(२) मूल संविदा कुलनचिव के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रतिलिपि सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को दी जायेगी।

(३) इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व नियोजित किसी अधिकारी या अध्यापक की दशा में, इस प्रकार प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाएँ, उक्त विस्तार तक जहाँ तक वे इस अधिनियम या परिणियम और अध्यादेशों के उपबन्धों से असंगत हों, उक्त उपबन्धों द्वारा उपान्तरित समझी जायेंगी।

(४) किसी संविदा या अन्य लिखित के अन्तर्लिखित किसी बात के होते हुए भी किसी घटक चिकित्सा महाविद्यालय के अध्यापकों को, ऐसे विस्तार तक के सिवाय, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, ग्राइनेट चिकित्सा व्यवसाय (प्रेक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।

३३. विश्वविद्यालय तथा प्रत्येक सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, १ जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, ऐसी पेंशन, बीमा या भविष्य-निधि गठित करेगा, जिसे वह ठीक समझे, जिसके अन्तर्गत एक ऐसी निधि भी है, जिससे ऐसे अध्यापकों या यथास्थिति उनके उत्तराधिकारियों को उत्तर-प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, १९६५ में यथापरिभाषित केन्द्र के अधीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में नियोग्य, आहत, या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जायेगा।

३४. (१) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किये गये किसी कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के सम्बन्धी शर्तें १वही होंगी, जो विहित की जायें।

(२) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक, अध्यापन सम्बन्धी कर्तव्यों या किसी परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—‘पारिश्रमिकीय पद’ शब्दों के अन्तर्गत छात्र-निवास अथवा छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक, प्राक्टर, क्रीडाधीक्षक, पुस्तकाध्यक्ष और नेशनल कैडेट कोर, राजकीय खेलकूद संगठन, राष्ट्रीय समाज सेवा स्कीम तथा विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालय में कोई पद भी है।

*३५. सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें वही होंगी, जो विहित की जायें।

३६.* १(१) धारा ३२ में निर्दिष्ट किसी नियुक्ति-संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बद्ध अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा) होगा।

(२) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाय, तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति या सम्बन्धित निकाय उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा और अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियाँ उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती हैं, जिस प्रक्रम पर रिक्ति की पूर्ति की जाय।

(३) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(४) माध्यस्थम् अधिकरण को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :—

(ग) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना;

(ग) सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को पुनर्नियुक्त करने का आदेश देना; और

(गग) सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को, ऐसी आय काटने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलम्बित होने, हटाये जाने, पदच्युत

किये जाने अथवा समाप्त किये जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना।

(५) माध्यस्थम् से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम् पर लागू न होगी।

(६) किसी न्यायालय में कोई बाद या कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में नहीं की जायेगी, जो उपधारा (१) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिये अपेक्षित हो।

परन्तु उपधारा (३) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारिता युक्त निम्नतम न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा, मानो वह उक्त न्यायालय की कोई डिग्री हो।

?

अध्याय-७

सम्बद्धता तथा मान्यता

१३७. (१) यह धारा आगरा, गोरखपुर, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों और (लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों से भिन्न) ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों पर लागू होगी, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

*२(२) कार्यपरिषद् सम्बद्धता को ऐसी शर्तों को, जो विहित की जायें, पूरा करने वाले महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से ही सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या उपधारा (८) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी।

३७.३.३.३.

(३) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिये, उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से अध्यापन या अनुसन्धान कार्य में सहयोग प्राप्त करने की व्यवस्था करना विधिपूर्ण होगा।

(४) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र, महाविद्यालय के कार्य-कलापों का प्रबन्ध और नियन्त्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिये उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण तथा नियन्त्रण के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्ट, विवरणियाँ तथा अन्य विशिष्टियाँ प्रस्तुत करेगा, जिनमें कार्यपरिषद् या कुलपति माँगे।

(६) कार्यपरिषद्, प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का, अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर, पाँच वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर, निरीक्षण करायेंगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को भेजी जायेगी।

(७) कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी कार्यवाही करने का निर्देश दे सकेगी, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(८) कार्यपरिषद् द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (७) के अधीन कार्यपरिषद् के किसी निर्देश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो, महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद कुलाधिपति को पूर्व मंजूरी से परिणियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

१(९) उपधारा (२) और (८) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा है, तो कुलाधिपति प्रबन्धतन्त्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकार को वापस ले सकेंगे या उसमें कमी कर सकेंगे।

२(१०) ‘इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २००३ के प्रारम्भ के पूर्व कोई महाविद्यालय, जिसे पहले ही किसी विनिर्दिष्ट अर्थात् के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी हो, अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम को, जिसके लिए प्रवेश पहले ही हो गये हों, जारी रखने के लिए हकदार होगा; परन्तु ऐसा कोई महाविद्यालय उपधारा (२) के अधीन सम्बद्धता प्राप्त किये बिना अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी छात्र का प्रवेश नहीं करेगा’।

३८. (१) यह धारा लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों तथा (आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ अथवा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से भिन्न) ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों पर लागू होगी, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(२) सहयुक्त महाविद्यालय वही होंगे, जो परिणियमों द्वारा नामित किये जायें।

(३) किसी सहयुक्त महाविद्यालय के लिये किसी अन्य सहयुक्त महाविद्यालय या महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय से अध्यापन कार्य में सहयोग प्राप्त करने का इत्तजाम करना विधिपूर्ण होगा।

(४) किसी सहयुक्त महाविद्यालय की मान्यता की शर्तें परिणियमों द्वारा विहित की जायेंगी, अथवा कार्यपरिषद् द्वारा अधिरोपित की जायेंगी; किन्तु किसी सहयुक्त महाविद्यालय को, कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना स्नातकोत्तर उपाधि के लिये शिक्षण देने के लिये प्राधिकृत नहीं किया जायेगा :

परन्तु यदि किसी सहयुक्त महाविद्यालय को स्नातकोत्तर उपाधि के लिये शिक्षण देने के लिये मान्यता देने से इन्कार किया जाय, तो धारा ५ में किसी बात के होते हुए भी ऐसे महाविद्यालय को, कुलाधिपति के अनुमोदन से धारा ३७ में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता दी जा सकेगी और तदुपरान्त ऐसा महाविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय न रह जायेगा।

(५) इस अधिनियम द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी सहयुक्त महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र महाविद्यालय के कार्यों का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण करने के लिये स्वतन्त्र होगा और उसके पोषण तथा रख-रखाव के लिये उत्तरदायी होगा। प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य, उसके छात्रों में अनुशासन बनाये रखने तथा उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण तथा नियन्त्रण के लिये उत्तरदायी होगा।

(६) कार्यपरिषद् प्रत्येक सहयुक्त महाविद्यालय का अपने द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से समय-समय पर, तीन वर्ष से अनधिक अन्तरालों पर, निरीक्षण करायेंगी और निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को भेजी जायेगी।

(७) यदि कार्यपरिषद् का यह समाधान हो जाय कि किसी सहयुक्त महाविद्यालय ने मान्यता की शर्तों को पूरा करना बन्द कर दिया है अथवा उसने इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में अथवा कार्यपरिषद् द्वारा उसके काम में वतार्ई गयी किसी त्रुटि को दूर करने में निरन्तर व्यतिक्रम किया है, तो वह कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से और प्रबन्धतन्त्र द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् ऐसे महाविद्यालयों की मान्यता वापस ले सकेगी।

१(८) 'इस धारा में या धारा ५ में किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी विश्वविद्यालय के, जिस पर यह धारा लागू होती हो, क्षेत्र में स्थित किसी सहयुक्त महाविद्यालय को ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये जाँय, किसी ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा जिस पर धारा ३७ लागू होती हो, सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान किया जा सकेगा'।

३९. कोई भी व्यक्ति, (केवल राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पोषित महाविद्यालय से भिन्न) सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह अथवा उसका सम्बन्धी ऐसे महाविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा

ऐसे महाविद्यालय को माल का प्रदाय करने के लिए अथवा उसके निमित्त किसी संकर्म का निष्पादन करने के लिए कोई सौविदा स्वीकार करता है : परन्तु इस धारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में कहीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या महाविद्यालय के किसी छात्रनिवास या छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में कहीं कर्तव्यों के लिए अथवा महाविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृश कहीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण—'नातेदार' का वही अर्थ होगा, जो उसके लिये धारा २० के स्पष्टीकरण में दिया गया है।

४०. (१) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निदेश दे, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत उसका भवन, प्रयोगशाला तथा उपस्कर भी है और महाविद्यालय द्वारा संचालित या ली गई परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य काम का निरीक्षण कराने अथवा ऐसे महाविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(२) यदि राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन निरीक्षण या जाँच कराने का निश्चय करे, तो वह उसकी सूचना प्रबन्धतन्त्र को देगी और प्रबन्धतन्त्र द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि तथा यदि प्रबन्धतन्त्र कोई प्रतिनिधि नियुक्त करने में असफल रहे, तो महाविद्यालय का प्राचार्य ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे प्रबन्धतन्त्र की ओर से सुनवाई का अधिकार होगा; किन्तु ऐसे निरीक्षण या जाँच के समय महाविद्यालय की ओर से कोई विधिव्यवसायी न तो उपस्थित होगा, न अधिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों के उपस्थित होने के लिये तथा दस्तावेजों और सारवान् वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९९८ की धारा ४८० तथा ४८२ के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा १९३ और २२८ के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(४) राज्य सरकार प्रबन्धतन्त्र को ऐसे निरीक्षण या जाँच का परिणाम संसूचित कर सकेगी और किये जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में निदेश दे सकेगी और प्रबन्धतन्त्र ऐसे निर्देशों का तत्काल अनुपालन करेगा।

(५) राज्य सरकार उपधारा (४) के अधीन प्रबन्धतन्त्र को दी गयी किसी संसूचना के बारे में कुलाधिपति को जानकारी देगी।

(६) राज्य सरकार किसी समय सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र अथवा प्राचार्य से ऐसे निरीक्षण या जाँच के सम्बन्ध में कोई जानकारी माँग सकेगी।

४१. (१) घटक महाविद्यालय वही होंगे, जो परिणियमों द्वारा नामित किए जाँय।

(२) किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य, महाविद्यालय में नामावलीगत छात्रों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा और महाविद्यालय को आर्वाटिड लिपिक-वर्गीय तथा अवर कर्मचारिवृन्द पर साधारण नियन्त्रण होगा। वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो परिणियमों द्वारा विहित की जाँय।

*१४२—*२४३—

४४. विश्वविद्यालय किसी विषय में शिक्षण एवं अनुसन्धान कार्य के संगठन तथा संचालन हेतु एक या एकाधिक संस्थान स्थापित कर सकेगा।

अध्याय-८

प्रवेश तथा परीक्षाएँ

*१४५. (१) कोई भी छात्र किसी भी उपाधि के अध्ययन पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश पाने के लिए पात्र न होगा, जब तक कि उसने विश्वविद्यालय की उत्तर मध्यमा या सम्पूर्ण मध्यमा परीक्षा या राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी की मध्यमा परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा उसके बराबर मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो और ऐसी अतिरिक्त अर्हता, यदि कोई हो, जो अध्यादेशों में निर्धारित की जाय, न रखता हो।

(२) वे शर्तें जिनके अधीन छात्र विश्वविद्यालय के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकेंगे, अध्यादेशों द्वारा विहित की जायेंगी।

(३) विश्वविद्यालय को (किसी उपाधि या अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के प्रयोजनार्थ) किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को अपनी उपाधि के समतुल्य अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, संचालित किसी परीक्षा को, किसी भारतीय विश्वविद्यालय की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता देने की शक्ति होगी।

(४) किसी ऐसे छात्र को, जिसका काम अथवा आचरण असमाधानप्रद हो, विश्वविद्यालय या संस्थान या घटक महाविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय से अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार हटाया जा सकेगा।

४६. सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और उसका कोई प्राचार्य या अन्य अध्यापक या अन्य कर्मचारी ऐसे १ महाविद्यालय में प्रवेश देने या प्रवेश के पश्चात् पूर्ववत् रहने की अनुमति देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से अध्यादेशों में अधिकृत दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, न लेगा न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

२४६क. जहाँ किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय द्वारा जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय भी सम्मिलित है, अंशदान या दान चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहाँ इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह महाविद्यालय को दिया गया हो और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय की दशा में कोई नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायेगा, जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायेगा।

४७. (१) यह धारा लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर विश्वविद्यालयों और ऐसे अन्य विश्वविद्यालय, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, पर लागू होगी।

(२) विश्वविद्यालय के छात्र-निवास या छात्रावास वही होंगे, जो—

(क) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित तथा परिचालित में नामित हों,

(ख) कार्यपरिषद् द्वारा ऐसी साधारण या विशेष शर्तों पर, जो अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित की जायें, मान्यता-प्राप्त हों।

(३) छात्रनिवासों तथा छात्रावासों के वार्डन और अन्य कर्मचारियों अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(४) कार्यपरिषद् को किसी ऐसे छात्रनिवास या छात्रावास की जो उपधारा (२) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार पोषित न हों, मान्यता को निलम्बित करने या वापस लेने की शक्ति होगी :

परन्तु ऐसे छात्रनिवास या छात्रावास के प्रबन्धन को प्रस्थापित कार्यवाही के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिये बिना कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(५) विश्वविद्यालय के ऐसे छात्रों के लिये, जो किसी घटक महाविद्यालय या छात्र-निवास में अथवा उसकी देख-रेख में नहीं रहते हैं, निवास-स्थान, स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी इन्तजाम का पर्यवेक्षण करने के लिए एक अनिवासी छात्र केन्द्र होगा। अनिवासी छात्र केन्द्र का गठन, शक्ति तथा कर्तव्य परिचालन द्वारा विहित किये जायेंगे।

४८. इस अधिनियम और परिचालन के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परीक्षा समिति परीक्षाओं के संचालन के लिए इन्तजाम करने का निर्देश देगी।

अध्याय-९

परिचालन, अध्यादेश तथा विनियम

४९. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिचालन में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टता निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ और उनके कर्तव्य,

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य सभी विषय जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो,

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य,

१(घ) सम्बद्ध और सहयुक्त महाविद्यालयों और विश्व-विद्यालयों के प्राचार्यों और अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित हैं), उनके द्वारा विद्यासम्बन्धी अपनी वार्षिक रिपोर्ट का अनुरक्षण, उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण नियम और उनकी उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं),

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिनमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित हैं) और उनकी उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा-निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं),

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य-निधि का गठन अथवा बीमा स्कीम की स्थापना,

(छ) उपाधियाँ तथा डिप्लोमा संस्थित करना,

(ज) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना,

(झ) उपाधियाँ और डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लेना,

(ञ) संकायों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और पुनःसंगठन,

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना,

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्रनिवासों तथा छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और पुनःसंगठन,

(ड) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता या मान्यता का विशेषाधिकार प्रदान किया जाय और वे शर्तें जिनके अधीन कोई ऐसा विशेषाधिकार वापस लिया जा सके,

(ड) किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के प्रबन्धन को मान्यता प्रदान करना,

१(ण) विश्वविद्यालय या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या, न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव, उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें, जिसमें सेवा-निवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण,

(त) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना,

(थ) स्नातकों के रजिस्ट्रीकरण की अर्हतायें, शर्तें और रीति और रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना,

(द) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो, करना, और

(ध) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिचालन में उपबन्धित किये जाने हों, किये जा सकेंगे।

५०. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम परिचालन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे और किसी विद्यमान विश्वविद्यालय की दशा में, जब तक प्रथम परिचालन इस प्रकार न बनाये जाय, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त परिचालन, जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, ऐसे अनुकूलनों तथा उपात्तरों के अधीन रहते हुए, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्धन, जो आवश्यक या समीचीन हों, के रूप में हों, और जिसको राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपबन्धित किया जाय, प्रवृत्त बने रहेंगे तथा ऐसे अनुकूलनों या उपात्तरों पर आपत्ति नहीं उठाई जायेगी।

(१-क) राज्य सरकार ३१ दिसम्बर, १९९० तक किसी समय प्रथम परिचालन को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधित कर सकेगी, चाहे वे परिवर्तन, प्रतिस्थापन या लोप के रूप में हों, और कोई ऐसा संशोधन ऐसे भूतलक्षी दिनाङ्क से हो सकेगा, जो उस प्रकार प्रारम्भ होने के दिनाङ्क से पहले का न हो।

(२) कार्यपरिषद् ३१ दिसम्बर, १९९० के पश्चात् किसी समय, नये या अतिरिक्त परिचालन बना सकेगी या उपधारा (१) अथवा उपधारा (१-क) में निर्दिष्ट परिचालनों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी।

(३) कार्यपरिषद् किसी ऐसे परिचालन के प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी, जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्राप्ति, शक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और उस प्रकार राय लिखित रूप में होगी तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(४) प्रत्येक नया परिचालन या किसी परिचालन में परिवर्धन या किसी परिचालन में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा, जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा उस पर और विचार करने के लिए कार्यपरिषद् को भेज सकेगा।

(५) कार्यपरिषद् द्वारा पारित कोई परिचालन उस तारीख से: जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाय अथवा ऐसी पश्चाद्वर्ती तारीख से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, प्रभावी होगा।

(६) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी कितनी बात के होते हुए भी राज्य सरकार (अध्ययन, अध्यापन या अनुसन्धान के हित में या अध्यापकों, छात्रों या अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये) या अध्यापकों की अर्हताओं के सम्बन्ध में विरधविधायक अनुदान आयोग के कितनी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किये गये कितनी विनियमों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यपरिषद् से विनिर्दिष्ट अर्थात् के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (१) या उपधारा (१-क) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरस्त करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्यपरिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे, तो राज्य सरकार कुलाधिपति की अनुमति से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या उपधारा (१) या उपधारा (१-क) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरस्त कर सकती है।

(७) कार्यपरिषद् को राज्य सरकार द्वारा उपधारा (६) के अधीन बनाये गये परिनियमों को संशोधित या निरस्त करने या ऐसे परिनियमों से अलगत नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने की शक्ति नहीं होगी।

५१. (१) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेशों में कितनी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रभाव डालते बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किए जायेंगे, अर्थात्—

- (क) विध्विधायक में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामावलीगत होना और इस प्रकार बना रहना,
- (ख) विध्विधायक की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए अधिकृत किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम और विध्विधायक को अन्य विद्या तन्त्रध्विधायक,
- (ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विध्विधायक की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रविष्ट किया जायेगा तथा वे ऐसी उपाधियों तथा डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे,
- (घ) छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, निर्यन-छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें,
- (ङ) विध्विधायक में छात्रों के निवास तथा विध्विधायक द्वारा पोषित छात्रनिवास और छात्रावासों के प्रबन्ध की शर्तें,
- (च) ऐसे छात्रनिवास और छात्रावासों की, जो विध्विधायक द्वारा पोषित न हों, मान्यता और प्रबन्ध,
- (छ) विध्विधायक के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना,
- (ज) पत्राचार पाठ्य-क्रमों तथा प्राइमेट अन्वयियों से तन्त्रध्विधायक सभी विषय,
- (झ) अधिभाषक-शिक्षक एतौलियेशन की रचना,
- (ञ) फीस, जो विध्विधायक या कितनी तन्त्रध्विधायक अथवा तन्त्रध्विधायक द्वारा कितनी प्रयोजनार्थ ती जा तके,
- (ट) वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों को छात्रनिवास तथा छात्रावासों में शिक्षण देने के निमित्त अर्ह माना जाय,
- (ड) परीक्षणनिकायों, परीक्षकों, अनुसूचीकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य,
- (ड) परीक्षाओं का संघालन,
- (ढ) विध्विधायक के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा भत्ता, जिनके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं,

(ग) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाते हों, अध्यादेशों द्वारा किये जायें, ५२. (१) प्रत्येक विध्विधायक के प्रथम अध्यादेश यही होंगे, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से अलगत न हों, प्रवृत्त हों :

परन्तु ऐसे कितनी अध्यादेशों के उपबन्धों को इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार बनाने के लिए कुलाधिपति आदेश द्वारा अध्यादेश में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर, शर्तें वे निरस्त, संशोधन या परिवर्तन के रूप में हों, कर सकेगा, जैसा कि आवश्यक या तर्जोमान हो, और उपबन्ध कर सकेगा कि अध्यादेश ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, इस प्रकार किये गये अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, और कितनी ऐसे अनुकूलन या उपान्तर पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

(२) कुलाधिपति और गवर्नर विध्विधायक और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् स्थापित किये जाने वाले कितनी अन्य विध्विधायक के प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा राजघर में अधिवृत्तन द्वारा बनाये जायेंगे।

(२-क) उपधारा (२) के अधीन पूर्वोक्त विध्विधायक को प्रथम परिनियमवर्ती बनाये जाने तक उक्त विध्विधायक को स्थापना के ठीक पूर्व प्रथम गोरखपुर विरधविधायक के अध्यादेश ऐसे अनुकूलनों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार की अधिवृत्तन द्वारा उपबन्धित किये जायें, इस पर लागू होंगे।

(३) इस धारा में अन्वया उपबन्धित के लिये कार्यपरिषद् समय-समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेंगी या उपधारा (१) और (२) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरस्त कर सकेंगी :

परन्तु ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा—

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विध्विधायक की परीक्षाओं के तन्त्रध्विधायक मान्यता दी जाने वाली परीक्षाएँ अथवा विध्विधायक के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये धारा ४५ की उपधारा (१) में परिणित अतिरिक्त अर्हताओं को परिणित करे, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का श्राव्य विद्या-परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो,

(ख) जिससे परीक्षाओं की नियुक्ति की शर्तें तथा रीति और उनके कर्तव्यों तथा परीक्षाओं या कितनी पाठ्य-क्रम के संघालन या त्तर पर प्रभाव पड़े, जब तक कि यह तन्त्रध्विधायक या संकायों की प्रस्थापना के अनुसार न हो, या जब तक कि ऐसे अध्यादेश का श्राव्य विद्यापरिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो, या

(ग) जिससे कि विध्विधायक के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपतन्त्रध्विधायक अथवा विध्विधायक की आय या ध्वय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि उक्त श्राव्य राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(४) कार्यपरिषद् को उपधारा (३) के अधीन विद्यापरिषद् द्वारा प्रस्थापित कितनी श्राव्य को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु यह उसे अस्वीकार कर सकेंगी या उसे विद्यापरिषद् को पूर्णतः अथवा भागतः पुनः विद्यारथ कितनी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकेंगी, जिसका कार्यपरिषद् सुझाव दे।

(५) कार्यपरिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जैसा यह निदेश दे और कुलाधिपति को यथाशक्य शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(६) कुलाधिपति, कितनी समय कार्यपरिषद् को उपधारा (३) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को अनुसूचित करने को संज्ञापित कर सकेंगी और कार्यपरिषद् को ऐसे अनुसूचित करने की सूचना प्राप्त होने की तारीख से अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।

(७) कुलाधिपति यह निदेश दे सकेंगी कि उपधारा (३) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न कितनी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिये नितन्त्रध्विधायक रहेगा, जब तक उसे अनुसूचित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस उपधारा के अधीन नितन्त्रध्विधायक का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

५३. (१) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विध्विधायक का कोई प्राधिकारी या निकाय निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेंगी—

(क) अपने अधिवेशनों में अनुसूचना की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकृतित करना,

(ख) ऐसे तन्त्रध्विधायक का उपबन्ध करना, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाते हों, और

(ग) कितनी ऐसे अन्य विषय का उपबन्ध करना, जिनका तन्त्रध्विधायक केवल ऐसे प्राधिकारी या निकाय से हो और जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश में उपबन्ध न किये गये हों।

(२) विरधविधायक के कितनी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा बनाये गए विनियमों में, उनके सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की, और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसे अधिवेशनों में किये जाने वाले कामकाज का अधितेख रखने की ध्वयस्था करेगा।

(३) कार्यपरिषद् तथा से भिन्न विरधविधायक के कितनी प्राधिकारी या निकाय को यह निदेश दे सकेंगी कि यह ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये कितनी विनियम को रद्द कर दे या उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दे, जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, और तदुपान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तदनुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उनमें संशोधन करेगा :

परन्तु यदि विरधविधायक का कोई प्राधिकारी या निकाय का समाधान कितनी ऐसे निदेश से न हो, तो यह कुलाधिपति को अपीत कर सकता है, जो कार्यपरिषद् के विद्यार प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकेंगी, जो यह ठीक समझे।

(४) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विद्यापरिषद् विरधविधायक की कितनी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की ध्वयस्था करने के लिए विनियम तन्त्रध्विधायक संकाय के बोर्ड द्वारा उक्त श्राव्य प्रस्थापित किये जाने के पश्चात् ही बना सकेंगी।

(५) विद्यापरिषद् को उपधारा (४) के अधीन संकाय के बोर्ड द्वारा प्रस्थापित कितनी श्राव्य में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी, किन्तु यह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ और विद्यार करने के लिये वापस कर सकेंगी।

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

५४. (१) विषयविद्यताय की वार्षिक रिपोर्ट कार्यपरिषद् के निदेशाधीन तैयार की जायेगी और उसे तथा को उसके वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा और तथा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस पर विचार करेगी।

(२) तथा संकल्प द्वारा ऐसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकेगी और उसे कार्यपरिषद् को संतुष्ट करेगी, जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी, जिसे वह ठीक समझे।

५५. (१) विषयविद्यताय का वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र कार्यपरिषद् के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी श्रोत से विषयविद्यताय को प्रोत्सूत या प्राप्त सनक्त धन और ऐसी रकमें जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो, विषयविद्यताय द्वारा रखी गयी लेखा में प्रविष्ट की जायेगी।

(२) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र को एक प्रतिनिधि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी, जो उनकी सन्परीक्षा करेगी।

(३) वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र को सन्परीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियाँ सन्परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों सहित कार्यपरिषद् द्वारा तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

(४) कार्यपरिषद् ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाय, आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(५) धन्य की अत्येक नई मद, जो यथाविहित रकम से अधिक हो, जिसे बजट में सम्मिलित करने की प्रत्यापना हो, कार्यपरिषद् द्वारा विमतनिमित्त को निर्दिष्ट की जायेगी, जो उस पर अपनी सिफारिशें कर सकेगी।

(६) कार्यपरिषद्, विमतनिमित्त की सिफारिशों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(७) वार्षिक लेखा, तुलनपत्र तथा सन्परीक्षा रिपोर्ट पर तथा अपने वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगी और तथा उसके सम्बन्ध में संकल्प द्वारा सिफारिशें कर सकेगी और उसे कार्यपरिषद् को संतुष्ट करेगी।

(८) कुलपति या कार्यपरिषद् द्वारा कोई ऐसा धन्य उपगत करना वैध न होगा—

(क) जो या तो बजट में मंजूर न हो या जो बजट मंजूर होने के पश्चात् राज्य सरकार या भारत सरकार या विषयविद्यताय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउण्डेशन द्वारा विषयविद्यताय को अनुदान नियमों की दशा में, ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो; परन्तु धारा १३ की उपधारा (७) में किसी बात के होते हुए भी, अग्निकाण्ड, बाढ़, अतिमृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अत्युत्प्रेरित परिस्थितियों में कुलपति पाँच हजार से अधिक ऐसा अनावर्ती धन्य उपगत कर सकेगा, जो बजट में मंजूर न हो और ऐसे सभी धन्य की तुष्टना वह अपितम्ब राज्य सरकार को देगा।

(ख) जो १९९९ अधिनियम के अधीन तात्पर्यित कुलापिपति या राज्य सरकार के अधीन किसी आदेश का विरोध करने के लिए किसी मुकदमे के सम्बन्ध में हो।

५५-क. (१) धारा ९ के खण्ड (ग) से (घ) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विषयविद्यताय के किसी धन या सन्पत्ति की हानि, दुर्घट्य या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्घट्य या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवधार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप हो।

(२) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि दुर्घट्य या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि को वसूली की रीति ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय।

अध्याय - ११

उपाधि महाविद्यालयों का विनियमन

५६. इस अध्याय में जब तक कि तन्दर्श से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) किसी सम्बन्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'सन्पत्ति' के अन्तर्गत महाविद्यालय की समस्त सन्पत्ति आती है, चाहे जंगम हो और स्थावर, जो उस महाविद्यालय से सम्बन्धित हो या उस महाविद्यालय के छात्रों के लिये पूर्णतः या भागतः विन्यासित हो और जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन (छात्रावासों सहित), संकर्म, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कार, फर्नीचर, लेखन सामग्री, स्टोर, स्पर्धासहित धन और अन्य धन यदि कोई हो, और महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य चीजें, हाथ की रोकड, बैंक नकदी, विनिधान और बही नगण और ऐसी सन्पत्ति जो महाविद्यालय के स्थानित्य, कब्जे, शांति या नियन्त्रण में हो, से उद्भूत ऐसे सभी अन्य अधिकार और हित और समस्त लेखाबहियों, रजिस्टर और तत्सम्बन्धी किसी भी प्रकार की अन्य दस्तावेजें हैं तथा महाविद्यालय के सभी अस्तित्वयुक्त उपाध और किसी भी प्रकार के दायित्व और बाध्यताएँ भी इसके अन्तर्गत समझी जायेंगी।

(ख) 'वेतन' से उपलब्धियों का जोड़ अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत अध्यापक या अन्य कर्मचारियों को अनुसूचे कर्तवियों करने के पश्चात् तत्समय संदेय नर्हार्गी मत्ता या कोई अन्य मत्ता है।

५७. यदि राज्य सरकार को किसी सम्बन्ध या सहयुक्त महाविद्यालय (राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अन्याय रूप से पॉषित महाविद्यालय से निवृत्त) के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है—

(१) कि उसके प्रबन्धतन्त्र ने महाविद्यालय के अध्यापकों या अन्य कर्मचारियों को उस मास के जिसके सम्बन्ध में या जिसके भाग के सम्बन्ध में वेतन संदेय है, अगले मास के बीसवें दिन तक वेतन का संदाय करने में जानबूझ कर बार-बार व्यतिक्रम किया है, या

(२) कि उसका प्रबन्धतन्त्र ऐसी अर्हताओं पाते, जो महाविद्यालय के सम्बन्ध में विद्या सम्बन्धी स्तरों को तुनिष्ठित करने के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हैं, अध्यापक नियुक्त करने में असफल रहता है, अथवा उसने परिणियों या अध्यापकों के उत्तंभन में किसी अध्यापक को नियुक्त किया है या सेवा में रखा हुआ है १३वाँ उच्च-प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, १९८० के अधीन उच्च-प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, या

(३) कि ऐसे किसी विवाद ने जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इस अधिकार के बारे में है कि ये उसके प्रबन्धतन्त्र के विधिपूर्ण पदाधिकारी हैं, महाविद्यालय के सुधार और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव डालता है, या

(४) कि उसका प्रबन्धतन्त्र महाविद्यालय को ऐसे प्रयाप्त और उचित आयात, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन-सामग्री प्रयोगशाला, उपस्कार और अन्य सुविधायें, जो महाविद्यालय के दख प्रशासन के लिये आवश्यक हैं, को व्यवस्था करने में बार-बार असफल रहा है, या

(५) कि उसके प्रबन्धतन्त्र ने महाविद्यालय की सन्पत्ति का सार्वभौम रूप से इस प्रकार परिवर्तन, दुरुपयोग या दुर्धिनियोजन किया है, जिससे महाविद्यालय का अहित हो, तो यह प्रबन्धतन्त्र से यह कारण दर्शित करने की माँग कर सकेगी कि धारा ५८ के अधीन आदेश क्यों न किये जायें : परन्तु जहाँ यह विवाद हो कि प्रबन्धतन्त्र के पदाधिकारी कौन हैं, तो ऐसी तुष्टना उन सभी व्यक्तियों को जारी की जायेगी, जो ऐसा होने का दावा करते हैं।

५८. (१) यदि धारा ५७ के अधीन प्रबन्धतन्त्र द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समानान हो जाय कि उस धारा में घणित कोई आधार विद्यमान है, तो वह आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत नियन्त्रक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) इस बात के लिये प्राधिकृत कर सकेगी कि वह महाविद्यालय और उसकी सन्पत्ति का प्रबन्ध दो वर्ष से अनधिक ऐसी अधि के लिये जो विनिर्दिष्ट की जाय, अपने हाथ में ले ले और यह प्रबन्धतन्त्र को अपरिचित करेगा और जब कभी प्राधिकृत नियन्त्रक प्रबन्ध को इस प्रकार अपने हाथ में लेता है, तब उन निबन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार अधिरोपित करे, उसे महाविद्यालय तथा उसकी सन्पत्ति के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शांफिकों और प्राधिकार होंगे, जैसा कि प्रबन्धतन्त्र को उस समय होता, जब कि महाविद्यालय और उसकी सन्पत्ति इस उपधारा के अधीन हाथ में नहीं ली गयी होती :

परन्तु यदि राज्य सरकार को यह राय हो कि महाविद्यालय और उसकी सन्पत्ति का उचित प्रबन्ध तुनिष्ठित बनाये रखने के लिए ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय-समय पर इस आदेश के प्रवर्तन का विस्तार ऐसी अधि के लिये जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो, यथाविनिर्दिष्ट रूप में कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार के आदेश के प्रवर्तन की कुल अधि जिसके अन्तर्गत इस उपधारा के अधीन प्रारम्भ के आदेश में विनिर्दिष्ट अधि भी है, धार वर्ष से अधिक न हो :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार इस उपधारा के अधीन किये गये आदेश को किसी भी समय प्रतिरुद्ध कर सकेगी।

(२) धारा ५७ के अधीन तुष्टना जारी करते हुए जब राज्य सरकार को राय अनिच्छित कारणों से यह हो कि महाविद्यालय के हित में तत्कात कार्यवाही करना आवश्यक है, तो वह प्रबन्धतन्त्र नितन्मित कर सकेगी, जो तदुपरान्त कृत्य नहीं करेगा और महाविद्यालय तथा उसकी सन्पत्ति के कार्यकर्ताओं के प्रबन्ध के लिये अग्रेतर कार्यवाहियों के पूरा होने तक ऐसा प्रबन्ध करेगी, जैसा कि वह ठीक समझे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से जब कि ऐसे आदेश के अनुसरण में प्रबन्धतन्त्र को यात्तय में हाथ में लिया जाता है, छः मास से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा : परन्तु यह और कि उक्त छः मास की अधि की संगणना करने में यह समय जिसके दौरान यह आदेश संधिधान के अनुच्छेद २२६ के अधीन अधिकारिता के प्रयोग में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा नितन्मित रहा था या कोई अधि जिसके दौरान प्रबन्धतन्त्र धारा ५७ के अधीन तुष्टना के अनुसरण में कारण दर्शित करने में असफल रहा था, अपरिचित कर दी जायेगी।

(३) उपधारा (१) में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह प्राधिकृत नियन्त्रक को महाविद्यालय की किसी स्थावर सन्पत्ति का अन्तगण करने (प्रबन्ध करने के साधारण अनुक्रम में मासानुमास किये पर दिये जाने के सिवाय) या उस पर कोई प्रभार तुजित करने की (राज्य सरकार या भारत-सरकार से महाविद्यालय को किसी सहायता अनुदान की प्राप्ति की शर्त के सिवाय) शक्ति प्रदान करती है।

(४) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश महाविद्यालय के या उसकी सन्पत्ति के प्रबन्ध और नियन्त्रण से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमित या किसी लिखित में उससे अलगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगा :

परन्तु महाविद्यालय की सन्पत्ति और उससे कोई आय महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार उपयोग किया जाता रहेगा, जैसा कि किसी ऐसे लिखित में उपबन्धित हो।

(५) शिक्षा (उच्चतर शिक्षा) का निदेशक प्राधिकृत नियन्त्रक को ऐसे निदेश दे सकेगा, जिन्हें वह महाविद्यालय या उसकी सन्पत्ति के उचित प्रबन्ध के लिये आवश्यक समझे और प्राधिकृत नियन्त्रक उन निदेशों का पालन करेगा।

५९. धारा ५८ की कोई बात किसी ऐसे महाविद्यालय को लागू न होगी, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद ३० के खण्ड (१) में निर्दिष्ट अल्प-संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित हो।

६०. (१) जहाँ किसी महाविद्यालय के सन्वन्ध में धारा ५८ के अधीन आदेश पारित किया गया हो, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे या अभिरक्षा या नियन्त्रणधीन महाविद्यालय की कोई सम्पत्ति है, वह सम्पत्ति प्राधिकृत नियन्त्रक को तत्काल परित्याग कर देगा।

(२) कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस आदेश की तारीख पर महाविद्यालय या उसकी सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी बही या अन्य दस्तावेज पर कब्जा या नियन्त्रण रखता है, उक्त बही और अन्य दस्तावेजों का लेखा प्राधिकृत नियन्त्रक को देने के लिये दायी होगा और उन्हें उसको या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जितने प्राधिकृत नियन्त्रक इस निम्न विनिर्दिष्ट करे, परित्याग करेगा।

(३) प्राधिकृत नियन्त्रक कलेक्टर से महाविद्यालय या उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा और नियन्त्रण परित्याग करने के लिये आमन्त्रण कर सकेगा और कलेक्टर प्राधिकृत नियन्त्रक को ऐसे महाविद्यालय या सम्पत्ति का कब्जा सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठावेगा और विशिष्ट: यथावश्यक बत का प्रयोग कर सकेगा या करावेगा।

अध्याय - ११-क

उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन संदाय

६०-क. इस अध्याय में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(१) 'महाविद्यालय' से कोई ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिचयनों के उपबन्धों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय से सन्वन्ध या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त हो और उसे तत्समय राज्य सरकार से पोषण अनुदान मिलता हो। (किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार या किसी २८नगर महापालिका द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय नहीं है।)

(२) 'उप-निदेशक' से सत्तागीय शिक्षा उप-निदेशक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अध्याय के अधीन उप-निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है।

(३) किसी महाविद्यालय के सन्वन्ध में 'कर्मचारी' से ऐसे महाविद्यालय का अध्यापनकर्ता कर्मचारी अभिप्रेत है—

(क) जिसके नियोजन के सन्वन्ध में धितीय वर्ष १९७४-७५ के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो; या

(ख) जो शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुज्ञा से किसी पद पर नियुक्त किया गया हो।

(४) 'पोषण अनुदान' से किसी महाविद्यालय का ऐसा सहायक अनुदान अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार उक्त निम्नित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उक्त महाविद्यालय के लक्ष्य के लिए समुपयुक्त पोषण अनुदान मानने के लिए निदेश दे।

(५) 'वेतन' का यहाँ अर्थ होगा, जो धारा ५६ के खण्ड (ख) में उक्तके लिये दिया गया है।

(६) किसी महाविद्यालय के सन्वन्ध में, 'अध्यापक' से ऐसा अध्यापक अभिप्रेत है, जिसके नियोजन के सन्वन्ध में धितीय वर्ष १९७४-७५ के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो, अथवा जो—

(क) सन्वन्ध कुतपति की अनुज्ञा से १ अक्टूबर, १९७५ के पूर्व तृजित किसी पद पर, या

(ख) शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुज्ञा से ३१ मार्च, १९७५ के पश्चात् तृजित किसी पद पर,

सन्वन्ध विश्वविद्यालय के कुतपति के अनुमोदन से नियोजित हो।

६०-ख. (१) किसी प्रतिकृत संविदा के होते हुए भी, ३१ मार्च, १९७५ के पश्चात् किसी कातावधि के सन्वन्ध में किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का संदाय उक्त माल के जिसके लिये या जिसके किसी भाग के सन्वन्ध में यह देय हो, अनुषर्तों मात की नीतियों तारीख की समाप्ति के पूर्व या उससे और पहले ऐसी तारीख को जैसा राज्य सरकार सामान्य आदेश द्वारा उक्त निम्नित नियत करे, उसे किया जायेगा।

(२) सिवाय उन कर्तवियों के जो इस अधिनियम, परिचयनों या अध्यादेशों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हों, वेतन का संदाय किसी भी प्रकार की कर्तवियों के बिना किया जायेगा।

६०-ग. (१) उपनिदेशक किसी समय इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये किसी महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगा अथवा निरीक्षण करा सकेगा या उसके अध्यापकों अथवा कर्मचारियों के वेतन के संदाय के सन्वन्ध में उसके प्रबन्धतन्त्र से ऐसी तुष्टता तथा अगितेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा-बहीयाँ तथा बाउण्डरी भी हैं) माँग सकेगा अथवा धितीय अधिपत्य के ऐसे सिद्धान्तों के अनुपातन के लिए उनके प्रबन्धतन्त्र को कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी की छटनी करने अथवा किसी अपव्ययकारक व्यव्य के प्रतिषेध के लिये कोई निदेश भी है) दे सकेगा, जितने वह उचित समझे।

(२) उपधारा (१) के अधीन छटनी के लिए प्रत्येक निदेश, शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) का पूर्वानुमोदन करने के पश्चात् जारी किया जायेगा और उतमें ऐसा भाषी दिनाङ्क विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब से ऐसी छटनी प्रवृत्त होगी।

(३) जहाँ उपधारा (१) तथा (२) के अनुसार छटनी के लिए कोई निदेश जारी किया जाय, वहाँ सन्वन्ध अध्यापक अथवा कर्मचारी इस अध्याय के अधीन संदेय पोषण अनुदान के प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट दिनाङ्क से महाविद्यालय का अध्यापक अथवा कर्मचारी नहीं रह जायेगा।

६०-ग. कुतपति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी अध्यापक का स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त पद इस दृष्टि से तृजित कर सकता है कि ऐसा अध्यापक जो तत्समय भारत या विदेश में शिक्षा के प्रशासन या इसी प्रकार के अन्य समनुदेशन में राष्ट्रीय महाप के किसी उपरायणी पद पर हो, ऐसे अध्यापक के रूप में परिचयनों के अनुसार अपना लीएन (भारणाधिकार) और ज्येष्ठता बनाये रख सके और साथ ही अपने समनुदेशन की अधिपति में पूर्ववत् अपने वेतनमान में वेतन वृद्धियाँ अजित कर सके और माधिय-निधि में अंशदान कर सके और सेवा-निगृहीति के लाभ, यदि कोई हों, प्राप्त कर सके :

परन्तु ऐसे समनुदेशन की अधिपति के लिए ऐसे अध्यापक को महाविद्यालय द्वारा कोई वेतन देय नहीं होगा।

६०-घ. (१) प्रत्येक महाविद्यालय का प्रबन्धतन्त्र अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन के संविधारण के प्रयोजनों के लिए किसी अनुसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक या डाकखाने में एक पृथक् लेखा (जिसे आगे इस अध्याय में 'वेतन संदाय लेखा' कहा गया है) खोलेगा, जितने प्रबन्धतन्त्र के एक प्रतिनिधि और उपनिदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो उप निदेशक द्वारा उक्त निम्नित प्राधिकृत किया जाय, संयुक्त रूप से प्रताया जायेगा।

परन्तु वेतन संदाय लेखा खोले जाने के पश्चात् यदि उप-निदेशक का धारा ६०-ज के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए यह समीधान हो जाय कि लोक-हित में ऐसा करना समनीधीन है, तो यह बैंक को यह अनुदेश दे सकेगा कि लेखा अकेले प्रबन्धतन्त्र के प्रतिनिधि द्वारा प्रताया जायेगा और यह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखण्डित कर सकेगा।

परन्तु यह और कि उपधारा (३) में निर्दिष्ट दशा में अथवा जहाँ किसी अन्य दशा में प्रबन्धतन्त्र को हेतुक दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् उपनिदेशक की यह राय हो कि ऐसा आवश्यक या समनीधीन है, तो उप-निदेशक बैंक को यह अनुदेश दे सकेगा कि वेतन संदाय लेखा उपनिदेशक द्वारा ही अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जितने वह उक्त निम्नित प्राधिकृत करे, प्रताया जायेगा और यह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखण्डित कर सकेगा।

(२) राज्य सरकार समय-समय पर सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह छात्रों से फीस के रूप में प्राप्त धनराशि का ऐसा भाग और महाविद्यालय की या उसके ताभार्थ पूर्णतः या अंशतः धर्मात्सित किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति से प्राप्त आय का ऐसा भाग भी, यदि कोई हो, ऐसी तारीख तक जिन्हें उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, वेतन संदाय लेखा में जमा करे और तदुपरान्त प्रबन्धतन्त्र ऐसे निदेश के अनुपातन करने के लिये बाध्य होगा।

(३) जहाँ उप-निदेशक की यह राय हो कि प्रबन्धतन्त्र ने उपधारा (२) अथवा तदधीन जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार फीस नहीं जमा की है, वहाँ उप-निदेशक आदेश द्वारा प्रबन्धतन्त्र को छात्रों से कोई फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा और तदुपरान्त उप-निदेशक छात्रों से प्रत्यक्षतः (या तो महाविद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जितने वह उचित समझे) फीस वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल की गयी फीस को वेतन संदाय लेखा में जमा करेगा।

(४) राज्य सरकार भी वेतन संदाय लेखा में पोषण अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी, जो उपधारा (१) तथा (३) के अधीन जमा की गई धनराशि को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (५) के अनुसार करने के लिये आवश्यक हो।

(५) वेतन संदाय लेखा में जमा धनराशि का उपयोग निम्न-लिखित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा, अर्थात्—

(क) ३१ मार्च, १९७५ के पश्चात् की किसी कातावधि के लिए महाविद्यालय अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को देय होने वाले वेतन के संदाय के लिए।

(ख) सन्वन्ध महाविद्यालय के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के माधिय-निधि लेखे में प्रबन्धतन्त्र का अंशदान, यदि कोई हो, जमा करने के लिए।

(६) किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी का वेतन, संदाय लेखा से उसी बैंक में उसके लेखे में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, अथवा यदि उक्त बैंक में उसका लेखा न हो, तब बैंक द्वारा संदाय किया जायेगा।

६०-ङ. (१) राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे पदों के विरुद्ध वेतन का संदाय करने के लिए दायी होगी, जितने राज्य सरकार द्वारा ३१ मार्च, १९७५ को या उसके पश्चात् सहायता अनुदान सूची में ते तिया गया हो :

परन्तु प्रथमतः यह कि महाविद्यालय को सहायता अनुदान नञ्जूर करने के लिये उच्च शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी ने ऐसे पदों के विरुद्ध वेतन का संदाय, महाविद्यालय को सहायता अनुदान सूची में लिये जाने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर कर दिया हो :

परन्तु द्वितीयतः यह कि किसी अनुदानित महाविद्यालय में पदों का तृजन उच्च शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार की अनुज्ञा से सहायता अनुदान सूची में लिये जाने के पश्चात् किया गया हो और जो ३१ मार्च, १९७५ के पश्चात् उच्च शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी

के अनुमोदन से सम्बन्ध रूप से भरे गये हों :

परन्तु तृतीयतः यह कि राज्य सरकार कितनी ऐसी महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगी, जहाँ पदों के तुलना की अनुष्ठा उच्च शिक्षा निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इत शर्त पर दी गयी हो कि अपने-अपने महाविद्यालय का प्रबन्धन इस प्रकार सुचित पदों के विरुद्ध वेतन के संदाय का दायित्व वहन करेगा :

परन्तु प्रत्यूतः यह कि ऐसी महाविद्यालयों के सम्बन्ध में, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कतिपय विषयों की सम्बद्धता, कुलाधिपति द्वारा स्थापनापोषण योजना के अधीन प्रदान की गयी हो, राज्य सरकार ऐसे पाठ्यक्रम में शिक्षण देने के सम्बन्ध में नियुक्त अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का संदाय करने के लिये दायी नहीं होगी।

(२) राज्य सरकार कोई ऐसी धनराशि जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा उपपारा (१) के अधीन कोई दायित्व उपगत हो, महाविद्यालय को अथवा उत्तम नितित सन्धि की आय को कुर्क करके प्रत्यूत कर सकेगी, मानो वह धनराशि ऐसे महाविद्यालय द्वारा देय शू-राज्य का बकाया हो।

(३) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि इससे किन्हीं ऐसे देयों के सम्बन्ध में, जो अध्यापक अथवा कर्मचारी को देय हों, महाविद्यालय के दायित्वों का अन्वीकरण होता है।

६०-घ. (१) यदि धारा ६०-ग के अधीन किसी निदेश का या धारा ६०-ख या धारा-६०-घ के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई व्यक्तिक्रम किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्तिक्रम जो व्यक्तिक्रम किये जाने के समय महाविद्यालय का प्रबन्धक या या कोई ऐसा अन्य व्यक्तिक्रम जिसमें उसके कार्यकताप का प्रबन्ध और संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह न तावित कर दे कि व्यक्तिक्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने व्यक्तिक्रम के किये जाने का निवारण करने के लिये सभी सम्बन्ध तत्परता बरती थी, धारा ६०-ख के उपबन्धों का अनुपालन करने में व्यक्तिक्रम करने की दशा में जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा और किसी अन्य व्यक्तिक्रम की दशा में कारावास, जो छः मास तक हो सकेगा अथवा जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(२) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान उप-निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, किन्तु कोई पुतित अधिकारी जो उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का हो, कितनी ऐसे अपराध का अन्वेषण प्रथम चर्ग नजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा और न चारण्ट के बिना गिरफ्तार करेगा।

(४) कोई भी न्यायालय जो प्रथम चर्ग के नजिस्ट्रेट से नीचे पंक्ति का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

६०-छ. इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा), उप-निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये कितनी आदेश या निदेश पर कितनी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

६०-ज. (१) राज्य सरकार गजट में अधिलेखन द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(२) इस अध्याय के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब कि उसका सत्र हो रहा हो, कुल तीस दिन की कालाधिपर्यन्त जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद की तारीख नियत न की जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से ऐसे परिष्कारों अथवा अधिलेखनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त कालाधिपति में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा अधिलेखन तदधीन पहलते की गयी कितनी बात की वैधता पर कोई प्रतिकृत प्रभाव न डालेगा।

अध्याय १२

शासिदाय और प्रक्रिया

६१. (१) जो कोई धारा ४६ के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, सिद्धदीय होने पर ऐसी अपधि के लिये कारावास से जो तीन मास तक की हो सकती है या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

(२) कोई भी व्यक्तिक्रम जो—

(क) महाविद्यालय की कोई ऐसी सन्धि का, जिसके सम्बन्ध में धारा ५८ के अधीन आदेश किया गया था, कब्जा, अधिरक्षा या निवन्धन रखता है, ऐसी सन्धि को उत धारा के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियन्त्रक से या उसके द्वारा उत नितित प्राधिकृत कितनी व्यक्तिक्रम से दोषतः रख रखता है, या

(ख) ऐसे महाविद्यालय की कितनी सन्धि का कब्जा दोषतः अधिग्रहण करता है, या

(ग) कोई बही या अन्य दस्तावेज, जो उसके कब्जे, अधिरक्षा या निवन्धन में हो, प्राधिकृत नियन्त्रक को या उसके द्वारा निर्दिष्ट धारा ६० की उपधारा (२) द्वारा यथा अपेक्षित कितनी व्यक्तिक्रम को प्रस्तुत करने में जानबूझ कर रोक्ता है या अलक्षित रहता है, या

(घ) कितनी व्यक्तिक्रम को इस अधिनियम के उपबन्धों के सभी या कितनी उपबन्ध का सम्बन्ध रूप से पातन करने में जानबूझ कर बाधा डालता है,

सिद्धदीय होने पर ऐसी अपधि के लिए कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा :

परन्तु इस उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कितनी अपराध का विधायन करने धाता न्यायालय अधिलेखन व्यक्तिक्रम को सिद्धदीय उरुते समय उते यह आदेश दे सकेगा कि वह दोषतः रखी गयी या दोषतः अधिग्रहण कितनी सन्धि को या जानबूझ कर रखी गयी कितनी बही या अन्य दस्तावेज को न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर परिदण कर दे या धारण कर दे।

६२. कोई भी न्यायालय शिक्षा (उच्चतर शिक्षा) के निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना धारा ६१ के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

६३. (१) यदि धारा ६१ के अधीन अपराध करने धाता व्यक्तिक्रम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, १८६० के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी हो, तो सोसाइटी और अपराध किये जाने के समय उसके काराबार के संचालन के लिये सोसाइटी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्तिक्रम अपराध का दोषी समझा जायेगा और वह तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिये दायी होगा;

परन्तु इस उपधारा की कितनी बात से कोई ऐसा व्यक्तिक्रम कितनी दण्ड का दायी नहीं होगा, यदि वह सिद्ध कर दे कि उसकी जानकारी के बिना अपराध किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को रोकने के लिये सभी सम्बन्ध तत्परता बरती थी।

(२) उपधारा (१) में कितनी बात के होते हुए भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कितनी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा किया गया हो और वह सिद्ध कर दिया जाता है कि ऐसा अपराध उत सोसाइटी के कितनी सदस्य की सन्धि या मौनानुकूलता से किया गया है या ऐसे अपराध का क्रिया जाना सोसाइटी के कितनी सदस्य की उपेक्षा के कारण हुआ है, तो ऐसा सदस्य भी उत अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित किये जाने के लिये दायी होगा।

अध्याय - १३

प्रकीर्ण

६४. (१) इस अधिनियम या परिनिधियों द्वारा अधिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के लिये, विधिविद्यालय के अधिकारी और विधिविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्य, यथासम्भव, निर्वाचन से निवृत्त रीति से चुने जायेंगे।

(२) जहाँ इस अधिनियम या परिनिधियों में प्रक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हताओं के अनुसार कितनी नियुक्ति के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो, तो प्रक्रानुक्रम और ज्येष्ठता तथा अन्य अर्हतायें अयथावित करने की रीति यही होगी, जो विहित की जाय।

(३) जहाँ इस अधिनियम में निर्वाचन के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो, तो ऐसा निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकत संक्रानुक्रमीय मत द्वारा संचालित किया जायेगा और जहाँ परिनिधियों में निर्वाचन के लिये उपबन्ध किया गया है, तो वह ऐसी रीति से होगा, जैसी परिनिधियों द्वारा उपबन्धित हो।

(४) इस अधिनियम द्वारा अधिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के लिये विधिविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी विधिविद्यालय के कितनी प्राधिकारी या अन्य निकाय के निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र न होगा।

६५. (१) विधिविद्यालय के कितनी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से निवृत्त सदस्यों की कितनी आकालिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने धाता व्यक्तिक्रम ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उत अर्थात् अधिपति के लिये होगा, जिसके लिये वह व्यक्तिक्रम जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

(२) कोई व्यक्तिक्रम, जो कितनी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विधिविद्यालय के कितनी प्राधिकारी का सदस्य हो, धारे वह निकाय विधिविद्यालय का हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकारी में अपने पद पर रहेगा, जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे

६६. विधिविद्यालय के कितनी प्राधिकारी या निकाय अथवा सन्धि का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अधिविधान्य न होगी कि :—

(क) उसमें कोई रिक्ति अथवा उतके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में कितनी ऐसे व्यक्तिक्रम ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिये हकदार नहीं था; या

(ग) उतके सदस्य के रूप में कार्य करने धाते कितनी व्यक्तिक्रम के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उतकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी, जिससे नामते के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पडता हो।

६६-क. 'राज्य सरकार समय-समय पर कितनी विधिविद्यालय को ऐसे नितित विषयक निदेश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जैसा यह आवश्यक समझे। ऐसे निदेश का अनुपालन विधिविद्यालय द्वारा किया जायेगा।'

६७. तथा, उपरिष्ठत और मत देने धाते सदस्यों के दो सिद्धाई मत से कितनी व्यक्तिक्रम को विधिविद्यालय के कितनी प्राधिकारी या अन्य निकाय को सदस्यत्व से इत आधार पर कि ऐसा व्यक्तिक्रम ऐसे अपराध के लिए सिद्धदीय हुआ है, जो तथा की राय में नैतिक अथवा सन्धित अपराध हो अथवा इस आधार पर कि वह कतद्मालक आचरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया है, जो विधिविद्यालय के सदस्य के लिये असंगतनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारों पर कितनी व्यक्तिक्रम से विधिविद्यालय द्वारा प्रदत्त या संजूर की गयी कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकती है।

६८. यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विधविधायक के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है, या नहीं, अथवा विधविधायक के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय (जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे परिनिधय, अध्यादेश या विनियम जो राज्य सरकार या कुलाधिपति द्वारा निर्मित या अनुमोदित परिनिधय या अध्यादेश न हो, को विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनिधयों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश—

(क) उस तारीख के जब कि प्रश्न पहले बार उठता जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात्,

(ख) विधविधायक के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यक्ति के विषय नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपाधिक परिस्थितियों में—

(क) पूर्वगामी परलोक में वर्णित कुलाधिपति को तन्नामि के पश्चात् त्प्रेरेणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निर्देश ग्रहण कर सकेगा।

(ख) जहाँ निर्दिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचन के बारे में किसी विवाद से हो और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति को पात्रता

संदेहास्पद हो, तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा, जिसे वह न्यायोचित और तनीचीन समझे।

२(ग)

६८-क. (क) जहाँ सम्बद्ध या तहयुक्त विधविधायक के प्रबन्धन के किसी अध्यापक को पदच्युत करने, हटाने, या पंक्तिच्युत करने या किसी अन्य रीति से उसे दण्ड देने या उसकी सेवा समाप्त करने के विनिश्चय का कुलाधिपति ने अनुमोदन नहीं किया है या जहाँ इस अधिनियम के या धारा ७४ द्वारा निर्मित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कुलाधिपति ने ऐसे अध्यापक के नितम्बन के आदेश को स्वीकृत, प्रतिबंधित या उपात्तरित कर दिया है, और प्रबन्धन ने ऐसे अध्यापक के वेतन का, जो कुलाधिपति के आदेश के परिणामस्वरूप उसे देय हो गया है, भुगतान करने में व्यतिक्रम किया है, वहाँ कुलाधिपति यह आदेश दे सकता है कि प्रबन्धन वेतन को उस धारा का भुगतान करे जो आदेश में निर्दिष्ट हो तथा नितम्बन काटने में देय वेतन का १/२ को दर से नितम्बन भागा, यदि भुगतान न किया गया हो, तो भुगतान करने के लिए भी प्रबन्धन को आदेश दे सकता है।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी मानते में, कुलाधिपति सम्बद्ध अध्यापक को, ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जैसा वह उचित समझे, बहाली का भी आदेश दे सकता है।

(३) उपधारा (१) के अधीन कुलाधिपति के किसी आदेश में भुगतान के लिए अपेक्षित वेतन या नितम्बन भागा को धनराशि कुलाधिपति द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण-पत्र पर, कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व की बकाया की शर्त पर कुलाधिपति को जायेगी।

(४) उपधारा (२) के अधीन कुलाधिपति का प्रत्येक आदेश क्षेत्रीय अधिकारितायुक्त निम्नतम विधित न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा, मानो वह उस न्यायालय की डिग्री हो।

(५) किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसके लिए इस धारा के अधीन कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन दिया जा सकता है, किसी प्रबन्धन या अध्यापक के विरुद्ध कोई याद दाय्य नहीं होगा।

१९९. राज्य सरकार या शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) या उपनिदेशक (जैसा धारा ६०-क में परिभाषित है) या प्राधिकृत निबन्धक या विधविधायक या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये विधयों या परिनिधयों या अध्यादेशों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्य या आशयित किसी कार्य के लिये न कोई याद प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाहियों को जा सकेगी।

७०. (१) विधविधायक के कब्जे में विधविधायक के किसी प्राधिकारी अथवा समिति को किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज अथवा विधविधायक द्वारा यथाविधि अनुमोदित किसी रजिस्टर की किसी प्रतिलिपि की प्रतिलिपि, यदि कुलाधिपति द्वारा प्रमाणित हो, तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रजिस्टर में प्रविष्ट होने के प्रमाणदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जायेगी और उक्तमें अभिलिखित विषय तथा व्यपहार के लिये साक्ष्य के रूप में उतनी प्रकार प्रयोग की जायेगी, जैसा कि यदि मृत प्रति प्रस्तुत की गई होती, तो यह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

(२) विधविधायक के किसी अधिकारी या लेखक से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जितने विधविधायक एक पक्ष न हो, विधविधायक का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख, जिसकी अन्तर्वस्तु उपधारा (१) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हो, प्रस्तुत करने की अथवा उक्तमें अभिलिखित विषय तथा व्यपहार को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि तम विशेष कारण से आदेश न दे।

* (३) उपर प्रदेश राज्य विधविधायक अध्यादेश, १९७३ की धारा ६७ की उपधारा (२) के अनुसरण में गठित प्राशासनिक समितियों और विद्या-समितियों १५ तितम्बर, १९७३ को विघटित उन बातों के विषय हो जायेगी, जो उन्होंने उस तारीख से पूर्व किया था या उनके किये जाने में सौभ किया था, किन्तु इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को उस तारीख से उपधारा (२) के अधीन कोई ऐसी कार्यवाही करने से, जिसे वह ठीक समझे, प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

७१-क. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी—

(क) प्रत्येक व्यक्ति जो काराविधायक के विधविधायक के रूप में स्थापित होने के ठीक पूर्व की तारीख को (कुलाधिपति से भिन्न) उक्तके किसी अधिकारी के रूप में पद धारण कर रहा हो, अथवा के विषय उक्तमें निबन्धनों तथा शर्तों पर, तब तक जब तक कि खण्ड (ख) के अधीन नयी नियुक्तियों न कर दी जायें, इस रूप में उतनी प्रकार पद धारण करता रहेगा, जिन पर कि यह उक्त तारीख को धारण कर रहा था;

(ख) इस धारा के प्रारम्भ होने के पश्चात्, यथासाध्य शीघ्र, राज्य सरकार (कुलाधिपति से भिन्न) उक्त विधविधायक के अन्तर्गत अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी और उक्त विधविधायक के अन्तर्गत प्राधिकारियों का गठन ऐसी रीति से करेगी, जिसे वह उचित समझे, ऐसा होने पर खण्ड (क) में निर्दिष्ट तत्तम अधिकारी पद पर न रह जायेंगे और तत्तम प्राधिकारियों का तत्काल विघटन हो जायेगा;

३(ग) खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकारियों के सदस्य ३१ दिसम्बर, १९८१ तक या खण्ड (घ) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे;

(घ) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त विधविधायक के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकारियों के गठन के लिये इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ग) के अधीन अन्तर्गत अधिकारियों तथा सदस्य को अलग-अलग पदावधि की तन्नामि के पूर्व उते पूरा किया जा सके।

७१-ख. २५ अगस्त, १९८९ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनिधय, अध्यादेश, परिनिधय संलेख या तत्तमय प्रभूत किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में गठयत विधविधायक के प्रति किसी निर्देश को हेमपतीनन्दन बहुगुणा गठयत विधविधायक के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

७१-ग. १७ जनवरी, १९९४ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनिधय, अध्यादेश, परिनिधय संलेख या तत्तमय प्रभूत किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में नेट विधविधायक के प्रति किसी निर्देश को चौधरी धरण सिंह विधविधायक, नेट के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

७१-घ. (१) १८ जून, १९९४ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनिधय, अध्यादेश, परिनिधय संलेख या तत्तमय प्रभूत किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में अथप विधविधायक के प्रति किसी निर्देश को डॉ. रामनोहर तोहिया विधविधायक, फैजाबाद के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

३(२) ११ जून, १९९५ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनिधय, अध्यादेश, परिनिधय संलेख या तत्तमय प्रभूत किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में अथप विधविधायक या डॉ. रामनोहर तोहिया विधविधायक, फैजाबाद के प्रति किसी निर्देश को डॉ. रामनोहर तोहिया अथप विधविधायक, फैजाबाद के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

७१-ङ. ११ जुलाई, १९९५ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनिधय, अध्यादेश, परिनिधय संलेख या तत्तमय प्रभूत किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में काराविधायक के प्रति किसी निर्देश को महाराणा गंधी काराविधायक, धारणली के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

७१-च. (१) २४, दिसम्बर, १९९५ से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनिधय, अध्यादेश, परिनिधय संलेख या तत्तमय प्रभूत किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में आगरा विधविधायक और कानपुर विधविधायक के प्रति किसी निर्देश को क्रमशः डॉक्टर मोनमर अम्बेदकर विधविधायक, आगरा तथा श्री शाहूजी महाराज विधविधायक, कानपुर के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

(२) उ.प्र. राज्य विधविधायक (संशोधन) अधिनियम, १९९७ के प्रारम्भ की तिथि से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनिधय, अध्यादेश, परिनिधय संलेख या तत्तमय प्रभूत किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में कानपुर विधविधायक या श्री शाहूजी महाराज विधविधायक, कानपुर के प्रति किसी निर्देश को क्षरपति शाहूजी महाराज विधविधायक, कानपुर के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

७१-छ. उ.प्र. राज्य विधविधायक (संशोधन) अधिनियम, १९९७ के प्रारम्भ की तिथि से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनिधय, अध्यादेश, परिनिधय संलेख या तत्तमय प्रभूत किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में गोरखपुर विधविधायक और रहेतखण्ड विधविधायक के प्रति किसी निर्देश को क्रमशः दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विधविधायक, गोरखपुर तथा महाराणा ज्योतिबा फुले रहेतखण्ड विधविधायक, बरेली के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

७१-ज. उ.प्र. राज्य विधविधायक (संशोधन) अधिनियम, १९९९ के प्रारम्भ की तिथि से, इस अधिनियम या किसी नियम, परिनिधय, अध्यादेश, परिनिधय संलेख या तत्तमय प्रभूत किसी अन्य विधि या किसी अन्य दस्तावेज या कार्यवाहियों में पूषाधत विधविधायक के प्रति किसी निर्देश को चौराहादुर सिंह पूषाधत विधविधायक, जौनपुर के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

(ग) जहाँ किसी संस्था ने आगर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने के लिये आगर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२६ के उपबन्धों के अनुसार १८ जून, १९७३ से पूर्व आवेदन किया है और ऐसा आवेदन उक्त तारीख को तन्वित या और जहाँ यह संस्था स्थित है, वह संस्था इस अधिनियम के अधीन आगर विश्वविद्यालय के क्षेत्र से बाहर पड़ता है, तो ऐसा आवेदन आगर विश्वविद्यालय के तमस प्राधिकारियों द्वारा निरस्तया जा सकेगा, नानो यह संस्था उक्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाता है और कुतापिपति द्वारा ऐसा आवेदन मंजूर किये जाने पर वह संस्था उक्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाएगी, जिसकी प्रादेशिक अधिकारिता के मोतर, जैता कि धार ५ में विनिर्दिष्ट है, संस्था स्थित होगा।

* संकायाध्यक्षों।

(छ) धारणसी जिते में स्थित काशीनरेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ज्ञानपुर या गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उखनी अथवा देहरादून जिते में स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ऋषिकेश के प्रत्येक ऐसे छात्र को, जो—

(१) उतर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, १९७३ के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, आगर विश्वविद्यालय की कितो उपाधि के लिये आव्यन कर रर रर या;

(२) उक्त विश्वविद्यालय की कितो उपाधि के लिए विद्यार्थ १९७३-७४ के दौरान उक्त महाविद्यालयों में से कितो महाविद्यालय के छात्र के रूप में प्रविष्ट या; या

(३) वर्ष १९७४ में, या मृतपूर्व छात्र के रूप में वर्ष १९७५ में ५अथवा वर्ष १९७६ में उक्त विश्वविद्यालय की कितो उपाधि परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो;

आगर विश्वविद्यालय के पाठ्य-विषरण के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुज्ञा दी जायेगी और आगर विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों के शिक्षण तथा उनकी परीक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया जायेगा और ऐसे परीक्षाफल पर उती विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान की जा सकेगी।

* (क) जब तक कि धार ४ की उपधारा (१) या उपधारा (१-क) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय में संकायों का गठन न हो जाय, धार ३१ की उपधारा (४) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट घयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

(१) प्रबन्धन का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रबन्धन का एक सदस्य, जो अध्यक्ष होगा;

(२) प्रबन्धन द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रबन्धन का एक सदस्य, और

(३) तीन विरोध, जो कुतचित द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

१. अधिवृत्तना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

२. अधिवृत्तना दिनाङ्क ११ दिसम्बर, १९७४ द्वारा निकाला गया।

३. अधिनियम संख्या ५, तन् १९७७ द्वारा बढ़ाया गया।

४. अधिनियम संख्या २९, तन् १९७४ द्वारा बढ़ाया गया।

५. अधिनियम संख्या २१, तन् १९७५ द्वारा प्रतिस्थापित।

उतर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन)

अधिनियम, १९७४

(उतर प्रदेश अधिनियम संख्या २९, १९७४)

अध्याय ४

अस्थायी उपबन्ध

२८. (१) राज्य सरकार, कितो कठिनाई को, विरारत: बुन्देतखण्ड, अथवा, रूहेतखण्ड विश्वविद्यालयों अथवा नोन्द्रेष कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या धन्दुरोखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना और उनके कृत्य के तन्वन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि अध्याय २ तथा ३ में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के उपबन्ध ऐसी कातापधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन हूए, धाहें वे परिष्कार, परिवर्तन या तोप के रूप में हों, जिन्हें यह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रमाथी होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि १३१ दिसम्बर २१९८१ के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान सभट के दोनों सदनों के तमस रखा जाएगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन कितो आदेश पर कितो न्यायालय में इत आधार पर आपति नहीं की जायेगी कि उपधारा (१) में निर्दिष्ट कठिनाई विधान नहीं थी अथवा उतको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

उतर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन)

अधिनियम, १९८०

(उतर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९८०)

१०. मूल अधिनियम में कितो बात के होते हुए भी—

(क) विश्वविद्यालय के कितो अधिकारी या प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा ३१ जुलाई, १९८० (जिते आगे इत खण्ड में उक्त दिनाङ्क कहा गया है) के परघात् किन्तु ३१ जुलाई, १९८० के पूर्व कितो तनय, उक्त अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या तात्परित प्रयोग में या अपने कार्यों के पातन या तात्परित पातन में कृत कोई कार्य या कार्यवाही या दिया गया कोई आदेश ऐसे विधिनान्य और प्रवर्तनीय होगा, नानो इत अधिनियम के उपबन्ध सभी तारभूत तनय पर प्रभूता थे और ऐसे कार्य, कार्यवाही या आदेश के तन्वन्ध में कितो न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के तमस केवल इत आधार पर आपति नहीं की जाएगी कि उक्त दिनाङ्क के बाद ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या सरकार को ऐसा कार्य या कार्यवाही करने या ऐसा आदेश देने की अधिकारिता नहीं थी;

(ख) मूल अधिनियम की धार ४ की उपधारा (१-ख) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और गठित प्राधिकारियों के सदस्यों को जो ३१ अगस्त, १९८० को अपना-अपना पद धारण करते रहे हों, ३१ दिसम्बर, १९८१ तक या उत तनय तक जब तक कि उक्त उपधारा के खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारी सन्वक रूप से नियुक्त न कर दिये जायें और प्राधिकारी सन्वक रूप से गठित न हो जायें, इतमें जो भी पहले हो, पूर्ववत् ऐसे पदों को धारण करता समझा जाएगा।

(ग) तखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२० के अधीन बनाये गये प्रयन परिनिधनों के परिनिधन १७३-ए के अनुसार, १२ जून, १९७३ से प्रारम्भ होने वाली और २२ अगस्त, १९८० को समाप्त होने वाली अथपि में की गयी प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति, जो २२ अगस्त, १९८० को अस्तित्व में थी, विधिनान्य समझी जाएगी और सदा से विधिनान्य रही समझी जाएगी, और उत प्रयोजन के लिये, उक्त परिनिधन १७३-ए को उक्त अथपि में प्रभूत समझा जायेगा, और जहाँ ऐसे अध्यापक द्वारा धृत अस्थायी पद को २२ अगस्त, १९८० के पूर्व मूल अधिनियम की धार ३१ की उपधारा (३) के खण्ड (ख) में यथानिर्दिष्ट, स्थायी पद से परिष्कृत कर दिया गया हो, यहाँ ऐसा अध्यापक उत स्थायी पद पर ऐसे परिवर्तन के दिनाङ्क से उक्त खण्ड (ख) के अनुसार अधिधायी रूप से नियुक्त माना जाएगा और ऐसे परिवर्तन के दिनाङ्क से एक वर्ष की अथपि समाप्त होने के दिनाङ्क से उत पद पर स्थायी किया गया माना जाएगा।

११. (१) उतर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, १९८० और उतर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (प्रतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, १९८० एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इत अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्तनान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी, नानो इत अधिनियम के उपबन्ध सभी तारभूत तनय पर प्रभूता थे।

उतर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय

(नियुक्तियों की विधिमान्यता) अधिनियम १९८४ उतर प्रदेश अधिनियम संख्या १८ सन् १९८४।

राज्य विश्वविद्यालयों में की गई कुछ नियुक्तियों को विधिमान्य करने के लिये।

भारत गणराज्य के पतीमय वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

यह अधिनियम उतर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) अधिनियम १९८४ कहा जाएगा।

२. नियुक्तियों की विधिमान्यता

कितो न्यायालय के कितो निर्णय, डिग्री या आदेश या कितो अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश या उतर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ या उसके अधीन बनाये गयी परिनिधनाधितियों में दी गयी कितो बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम द्वारा नियन्तित कितो विश्वविद्यालय में या उसके कितो सन्वक या सहस्रक महाविद्यालय में १ जुलाई १९७८ और इत अधिनियम के प्रख्यापन के दिनाङ्क के बीच की अथपि में की गयी प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति, जो विष्ठापित पदों की संख्या से अधिक पदों पर की गयी हो, विधिमान्य होगी और तदैव से विधिमान्य समझी जाएगी और ऐसी नियुक्तियों की विधिमान्यता पर कितो न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी या प्राधिकारी के तमस इत आधार पर आपति नहीं की जाएगी कि यह पद अतग से विष्ठापित नहीं किया गया था या विहित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया था।

३. निरसन और अपवाद

(२) उतर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (नियुक्तियों की विधिमान्यता) अध्यादेश १९८४ (उतर प्रदेश अध्यादेश संख्या १६ तन् १९८४) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(ग) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा १ में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही जो उक्त अध्यादेश के तहत की गयी हो, इत अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही समझी जाएगी, नानो इत अधिनियम के उपबन्ध सभी तारभूत तनय पर प्रभूता थे।